गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) नियम, 1996

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अधिसूचना क्र. सा. का. नि. 1(अ) दिनांक 1 जनवरी, 1996.—केन्द्रीय सरकार, प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 (1994 का 57)[1] की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—[2][(1) इन नियमों को गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) नियम, 1996 कहा जायेगा।]

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 (1994 का 57)[1] अभिप्रेत है;

(ख) "कर्मचारी" से किसी [3][आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक और इमेजिंग केन्द्र] में कार्यरत अथवा नियोजित व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत वे भी हैं जो अंशकालिक, संविदात्मक, परामर्शी, अवैतनिक आधार पर या किसी अन्य आधार पर कार्य कर रहे हैं;

(ग) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(घ) [4][***]

(ङ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(च) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

[(छ) "मोबाइल मेडिकल यूनिट" से एक मोबाइल वाहन अभिप्रेत है, बुनियादी विशेषज्ञ सेवाओं के जरूरतमंद रोगियों के लिए विशेषज्ञता सुविधाएं मुहैया करवाती हैं और समूचे देश में विशेषतया अल्पसेवित क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्रों में बेहतर पहुंच और घर पर स्वास्थ्य सेवाओं के समान वितरण की व्यवस्था करती है;]

भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग 2 खण्ड 3 (i) दिनांक 1-1-96 को प्रकाशित।

1. अब देखिए गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994.
2. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा विलुप्त।
5. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 80(अ) दिनांक 7 फरवरी, 2012 द्वारा अंत:स्थापित।

[1][(ज) "मोबाइल जेनेटिक क्लीनिक" से एक मोबाइल मेडिकल यूनिट अभिप्रेत है जहां भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने में सक्षम अल्ट्रासाउंड मशीन या इमेजिंग मशीन अथवा स्कैनर या अन्य सुवाह्य उपकरण का उपयोग किया जाता है या जिसमें गर्भावस्था के दौरान लिंग का पता लगाने अथवा गर्भधारण पूर्व लिंग का चयन करने की क्षमता है।]

[2][**3. न्यूनतम अपेक्षाएं.**—किसी आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक और इमेजिंग केन्द्र के लिए कर्मचारियों की अर्हताएं, उपस्कर की अपेक्षा आदि निम्नवत होंगी.—

(1) कोई व्यक्ति, जो

(i) स्त्री रोग विशेषज्ञ या बाल चिकित्सक है या उसे नियोजित करता है और उसे आनुवंशिक परामर्श में छह मास का अनुभव है या जिसने आनुवंशिक परामर्श में चार सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा किया है, या

(ii) चिकित्सा आनुवंशिक विद है या उसे नियोजित करता है और जिसके पास आनुवंशिक परामर्श देने के लिए पर्याप्त स्थान और शैक्षणिक चार्ट/माडल/उपस्कर हैं, उसे आनुवंशिक परामर्श केन्द्र के रूप में रजिस्ट्रीकृत करा सकेगा।

(2) (क) कोई व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त स्थान है और जो,—

(i) चिकित्सा आनुवंशिक विद है या उसे नियोजित करता है, और

(ii) प्रयोगशाला तकनीशियन, जिसके पास जीव विज्ञान में बीएससी डिग्री हो या जिसने चिकित्सा प्रयोगशाला पाठ्यक्रम में डिग्री या डिप्लोमा लिया हो और उपयुक्त प्रसव पूर्व निदान परीक्षण तकनीक, परीक्षण या प्रक्रियाओं में कम से कम एक वर्ष का अनुभव है, या उसे नियोजित करता है,

आनुवंशिक प्रयोगशाला स्थापित कर सकेगा।

(ख) ऐसी प्रयोगशाला में गुणसूत्री अध्ययन, जैव रासायनिक अध्ययन या आनुवंशिक अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से ऐसे उपस्कर, जो आवश्यक हों, होने चाहिए या अर्जित किए जाने चाहिए :—

(i) गुणसूत्री अध्ययन

(1) पराबैंगनी और प्रतिदीप्ति प्रकाश सहित पटलीय प्रावहहुड या अन्य उपयुक्त संवर्धनहुड।

(2) प्रकाश के प्रतिदीप्ति स्रोत सहित फोटो सूक्ष्मदर्शी

(3) प्रतिलोमित सूक्ष्मदर्शी

(4) ऊष्मायित्र और भट्टी

(5) कार्बन डाईऑक्साइड उष्मायित्र या 5 प्रतिशत सी० ओ० 2 वातावरण सहित बंद तंत्र।

(6) ऑटोक्लेव

(7) प्रशीतक

1. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 80(अ) दिनांक 7 फरवरी, 2012 द्वारा अंत:स्थापित।
2. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।

(8) जल स्नान
(9) अपकेन्द्रित्र
(10) वोर्टेक्स मिश्रक
(11) चुम्बकीय विलोड़क
(12) पी० एच० मीटर
(13) 0.1 मिलीग्राम की सूक्ष्मग्रहिता सहित सूक्ष्मग्राही तुला (अधिमानतः इलेक्ट्रानिक)
(14) द्वि आसवन साधित्र (शीशा)
(15) ऐसे अन्य उपस्कर, जो आवश्यक हों।

(ii) जैव-रासायनिक अध्ययन
(किए जाने वाले परीक्षणों के अनुसार अपेक्षाएं)
(1) पराबैंगनी और प्रतिदीप्ति सहित पटलीय प्रवाहहुड या अन्य उपयुक्त संवर्धन हुड।
(2) प्रतिलोमित सूक्ष्मदर्शी
(3) उष्मायित्र और भट्टी
(4) कार्बन डाईऑक्साइड उष्मायित्र या 5 प्रतिशत सी० ओ० 2 वातावरण सहित बंद तंत्र।
(5) ऑटोक्लेव
(6) प्रशीतक
(7) जल स्नान
(8) अपकेन्द्रित्र
(9) इलेक्ट्रोफोरेसिस साधित्र और शक्ति आपूर्ति
(10) क्रोमेटोग्राफी चैम्बर
(11) विभिन्न जैव रासायनिक परीक्षणों के लिए स्पेक्ट्रो—फोटोमीटर और इलिसा रीडर या रेडियो-इम्युनोएस्से प्रणाली (गामा बीटा काऊन्टर सहित) या फ्लुओरीमीटर।
(12) वोर्टेक्स मिश्रक
(13) चुम्बकीय विलोड़क
(14) पी० एच० मीटर
(15) 0.1 मिलीग्राम की सूक्ष्मग्रहिता सहित सूक्ष्मग्राही तुला (अधिमानतः इलेक्ट्रानिक)
(16) द्वि आसवन साधित्र (शीशा)
(17) द्रव नाइट्रोजन टैंक
(18) ऐसे अन्य उपस्कर, जो आवश्यक हों।

(iii) आण्विक अध्ययन
(1) प्रतिलोमित सूक्ष्मदर्शी
(2) उष्मायित्र
(3) भट्टी
(4) ऑटोक्लेव

(5) प्रशीतक (4 डिग्री और माइनस 20 डिग्री सेंटिग्रेड)

(6) जल स्नान

(7) सूक्ष्म अपकेन्द्रित्र

(8) इलेक्ट्रोफारेसिस साधित्र और शक्ति आपूर्ति

(9) वोर्टेक्स मिश्रक

(10) चुम्बकीय विलोड़क

(11) पी० एच० मीटर

(12) 01. मिलीग्राम की सूक्ष्मग्रहिता सहित सूक्ष्मग्राही तुला (अधिमानतः इलेक्ट्रानिक)

(13) द्वि आसवन साधित्र (शीशा)

(14) पी० सी० आर० मशीन

(15) प्रशीतक अपकेन्द्रित्र

(16) फोटोग्राफिक अटेचमेंट सहित यू० वी० इल्यूमीनेटर या अन्य प्रलेखन प्रणाली

(17) प्रीसीजन माइक्रोपिपेट्स

(18) ऐसे अन्य उपस्कर, जो आवश्यक हों।

(3) (1) कोई व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त स्थान है और जो,—

(क) एक स्त्री रोग विशेषज्ञ है या उसे नियोजित करता है और जिसे प्रति योनि या प्रति उदर कोरियोनिक विल्ली एसपिरेशन में कम से कम 20 प्रक्रिया, कोरियोनिक विल्ली बायोप्सी, एम्नियोसेंटेसिस, कोर्डोसेंटेसिस, फोइटोस्कोपी, फोइटल त्वचा या अंग जीवऊतिपरीक्षा या भ्रूण रक्त नमूना आदि के लिए इन क्षेत्रों में किसी अनुभवी स्त्री रोग विशेषज्ञ के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करने का अनुभव है, या

[(ख) सोनोलॉजिस्ट या इमेजिंग विशेषज्ञ या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जिनके पास स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा हो या जिन्होंने गर्भाधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) (छह मासिक प्रशिक्षण) नियम, 2014 में विहित रीति में, सम्यक रूप से छह मासिक प्रशिक्षण लिया हो,]

(ग) चिकित्सा आनुवंशिक विद है या उसे नियोजित करता है,

आनुवंशिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र स्थापित कर सकेगा।

(2) आनुवंशिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र में निम्नलिखित में से ऐसे उपस्कर होने चाहिए या अर्जित किए जाने चाहिए जो परीक्षण या प्रक्रिया के लिए आवश्यक हों,—

(क) किसी प्रसूति विज्ञानी या स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा निदान परीक्षा करने के लिए आवश्यक उपस्कर और उपसाधन।

1. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 13(अ) दिनांक 9 जनवरी, 2014 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) अल्ट्रा सोनोग्राफी मशीन जिसके अंतर्गत चल पराध्वनि मशीन, इमेंजिंग मशीन या भ्रूण अल्ट्रासोनोग्राफी करने के लिए समर्थ कोई अन्य उपस्कर है।

(ग) प्रति योनि या प्रति उदर कोरियोनिक विल्ली एस्पीरेशन करने के लिए उपयुक्त नाल शलाका और उपस्कर

(घ) एम्नियोसेंटेसिस या कोर्डोसेंटेसिस के लिए उपयुक्त विसंक्रमित सूईयां

(ङ) फोइटोस्कोपी, फोइटल त्वचा या अंग जीवऊतिपरीक्षा या भ्रूण रक्त नमूना के लिए उपयुक्त उप साधनों सहित एक फोइटोस्कोप वैकल्पिक होगा।

(च) शुष्क और आर्द्र विसंक्रमण के लिए उपस्कर।

(छ) आवश्यकता की दशा में गर्भाशय निकालने या पुनर्जीवित करने जैसी आपात प्रक्रिया के लिए उपस्कर

(ज) आनुवंशिक कार्य स्टेशन।]

[1][(3) अधिनियम के तहत किसी आनुवंशिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र में अल्ट्रासोनोग्राफी करने के पात्र प्रत्येक चिकित्सा व्यावसायी को जिले के अन्दर अधिकतम दो ऐसे क्लीनिक/केन्द्रों में ही पंजीकृत कराने की अनुमति प्रदान की जायेगा। प्रत्येक क्लीनिक/केन्द्र के द्वारा इन चिकित्सा व्यावसायियों के परामर्श घंटे स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए जायेंगे।]

[2][**3क. अल्ट्रासाउंड मशीन/इमेजिंग मशीन का विक्रय.**—(1) कोई भी संगठन, जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक संगठन भी है या व्यक्ति जिसके अंतर्गत किसी भ्रूण के लिंग का पता लगाने में समर्थ अल्ट्रासाउंड मशीन/इमेजिंग मशीन या किसी अन्य उपस्कर का, विनिर्माता, आयातकर्ता, व्यवहारी या प्रदायकर्ता भी है जो किसी ऐसी मशीन या उपस्कर का किसी रीति में चाहे वह संदाय पर प्राप्त हो या अन्यथा, किसी आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, इमेजिंग केन्द्र या किसी अन्य निकाय या व्यक्ति को विक्रय, वितरण प्रदाय भाड़ा पर उसका उपयोग अनुज्ञात नहीं करेगा या प्राधिकृति नहीं करेगा जब तक कि ऐसा केन्द्र, प्रयोगशाला, क्लिनिक, निकाय या व्यक्ति अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है।

(2) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यक्ति/निकाय को ऐसी मशीन/ऐसे उपस्कर का प्रदायकर्ता, तीन मास में एक बार संबद्ध राज्य/संघ राज्यक्षेत्र, समुचित प्राधिकारी और केन्द्रीय सरकार को उनकी सूची भेजेगा जिन्हें ऐसी मशीन/उपस्कर दिया गया है।

(3) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, इमेजिंग केन्द्र या किसी अन्य निकाय या व्यक्ति को किसी रीति में, भ्रूण के लिंग पता लगाने में समर्थ अल्ट्रासाउंड मशीन/इमेजिंग मशीन या किसी अन्य उपस्कर में से किसी का उपयोग के लिए विक्रय करने, वितरण करने, आपूर्ति करने या प्राधिकृत करने वाला कोई संगठन या व्यक्ति, जिसके अंतर्गत विनिर्माता, आयातकर्ता, व्यवहारी या प्रदायकर्ता भी है, ऐसी मशीन/उपस्कर का उपयोग के लिए क्रय करने वाले या प्राधिकार प्राप्त करने

1. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 418(अ) दिनांक 4 जून, 2012 द्वारा अंत:स्थापित।
2. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा अंत:स्थापित।

वाले या प्राधिकार प्राप्त करने वाले किसी आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, इमेजिंग केन्द्र या किसी अन्य निकाय या व्यक्ति से यह शपथ पत्र प्राप्त करेगा कि मशीन/उपस्कर का उपयोग भ्रूण के लिंग का पता लगाने या गर्भधारण पूर्व या बाद लिंग चयन करने के लिए नहीं किया जाएगा।]

[1][**3ख. सुवाह्य मशीनों का नियमन.**—(1) सुवाह्य अल्ट्रासाउण्ड मशीन अथवा अन्य किसी सुवाह्य मशीन अथवा यंत्र जिसकी गर्भाधान पूर्व लिंग के चयन अथवा गर्भावस्था के दौरान लिंग की जांच करने की क्षमता हो, को केवल निम्नलिखित स्थितियों में उपयोग की अनुमति दी जाएगी, अर्थात् :—

(क) सुवाह्य मशीन का उस परिसर के भीतर जिसके लिए यह पंजीकृत हो, अंतरंग रोगियों को सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उपयोग;

(ख) अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने वाले सचल चिकित्सा एकक के भाग के रूप में;

स्पष्टीकरण.—इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ, अभिव्यक्ति "स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं" से सचल चिकित्सा एकक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं अभिप्रेत हैं जिनमें निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है, अर्थात् :—

(i) **रोग निवारक**

(क) जटिल मामलों को रैफर करना;

(ख) क्षयरोग, मलेरिया, कुष्ठ रोग, काला आजार एवं अन्य स्थानीय रूप से स्थानिकमारी वाले संचारी रोगों एवं अतिरक्तदाब, मधुमेह, मोतियाबिंद मामलों इत्यादि सरीखे गैर-संचारी रोगों का शुरू में पता लगाना;

(ग) छोटी-मोटी शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएं और टांके लगाना;

(घ) ओ एंड जी विशेषज्ञ, बाल चिकित्सक एवं कार्यचिकित्सक सरीखी विशेषज्ञ सेवाएं;

(ii) **प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं**

(क) प्रसव पूर्व जांच एवं संबंधित सेवाएं;

(ख) जटिल प्रसवों को रैफर करना;

(ग) संस्थागत प्रसवों का संवर्धन;

(घ) प्रसवोपरांत जांच;

(ङ) प्रतिरक्षण क्लीनिक;

(च) बचपन की आम बीमारियों का उपचार;

(छ) जननमार्गीय संक्रमण अथवा यौन संचारित संक्रमणों का उपचार;

(ज) जीवन शैली शिक्षा, परामर्शन, छोटी-मोटी बीमारियों के उपचार सरीखी किशोर परिचर्या;

(iii) **परिवार नियोजन सेवाएं**

(क) बच्चों में अंतर रखने और स्थायी विधि के लिए परामर्शन;

(ख) गर्भनिरोधकों का वितरण;

(iv) **नैदानिक**

(क) हीमोग्लोबिन, पेशाब की जांच सरीखी जांच सुविधाएं;

1. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 80(अ) दिनांक 7 फरवरी, 2012 द्वारा अंतःस्थापित।

(ख) कुष्ठ रोग, क्षय रोग अथवा स्थानिकमारी वाले रोगों का नैदानिक रूप से पता लगाना;

(ग) कैंसर आदि की जांच;

(v) **विशेषीकृत सुविधाएं एवं सेवाएं**

(क) एक्स-रे;

(ख) ई० सी० जी०;

(ग) अल्ट्रासाउंड जांच;

(vi) आपदा या महामारी या जन स्वास्थ्य आपातकाल या दुर्घटनाओं आदि के समय में आपातकाल सेवाएं और परिचर्या।

(2) सचल जेनेटिक क्लीनिक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विनियमन

(क) अल्पसेवित जनसंख्या द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए शहरी मलिन बस्तियों या ग्रामीण या दूर दराज या पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्रों में अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करते हुए सचल चिकित्सीय एकक के एक भाग के रूप में एक सचल जेनेटिक एक प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकों का संचालन करेगा एवं प्रदान करेगा।

(ख) किसी भी परिस्थिति में मशीन का प्रयोग भ्रूण के लिंग निर्धारण के लिए नहीं किया जाएगा।

(ग) केवल प्रसवपूर्व नैदानिक सुविधाएं प्रदान करने वाले स्टैंड एलोन सचल अल्ट्रासाउंड एकक प्रतिबंधित हैं।

(घ) नैदानिक सेवाएं प्रदान करने वाला सचल चिकित्सीय एकक के पास रोगियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त स्थान होगा।]

4. [1][आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासांउंड क्लिनिक और इमेजिंग केन्द्र] का रजिस्ट्रीकरण.—[1][(1) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, दो प्रतियों में, प्ररूप क में एक सम्यकत: शपथ पत्र के साथ जिसमें निम्नलिखित हो, समुचित प्राधिकारी को किया जाएगा—

(i) इस आशय की गर्भधारण पूर्व या बाद लिंग चयन या एक वचनबद्धता कि यथास्थिति, आनुवंशिक केन्द्र, प्रयोगशाला/क्लिनिक/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र या उनका समुच्चय गर्भधारण पूर्व या बाद लिंग चयन या धारा 4(2) में विनिर्दिष्ट रोग के सिवाय, भ्रूण के लिंग का पता लगाने के लिए कोई परीक्षण या प्रक्रिया, चाहे वह जिस नाम से ज्ञात हो, न तो करेगा और न ही किसी को भ्रूण का लिंग प्रकट किया जाएगा; और

(ii) इस आशय का एक वचनबद्ध कि यथास्थिति, आनुवंशिक केन्द्र/प्रयोगशाला/ क्लिनिक/ उनका समुच्चय स्पष्ट रूप से एक सूचना प्रदर्शित करेगा कि वे कोई तकनीक, परीक्षण या प्रक्रिया चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, गर्भधारण पूर्व या बाद लिंग चयन या भ्रूण के लिंग का पता लगाने के लिए नहीं करते हैं।]

[2][(iii) एक जेनेटिक क्लीनिक के पंजीकरण में एक सचल चिकित्सीय एकक के एक भाग के रूप में प्रसवपूर्व नैदानिक सुविधाएं प्रदान करने वाला प्रत्येक सचल जेनेटिक क्लीनिक का पंजीकरण भी शामिल होगा और ऐसा वाहन ही मोबाईल जेनेटिक एकक के रूप में पंजीकृत होगा।]

(2) समुचित प्राधिकारी या उसके कार्यालय में इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के आवेदन की अभिस्वीकृति रसीद प्ररूप "क" के अंत में दी गई अभिस्वीकृति पर्ची में तुरन्त दी

1. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 80(अ) दिनांक 7 फरवरी, 2013 द्वारा अंत:स्थापित।

जाएगी यदि उसे समुचित प्राधिकारी के कार्यालय में परिदत्त किया जाता है या अगले कार्य दिवस के अपश्चात् दी जाएगी यदि वह डाक द्वारा प्राप्त किया जाता है।

[1][(3) एक जेनेटिक क्लीनिक के पंजीकरण में एक सचल चिकित्सीय एकक के एक भाग के रूप में प्रसवपूर्व नैदानिक सुविधाएं प्रदान करने वाला प्रत्येक सचल जेनेटिक क्लीनिक का पंजीकरण भी शामिल होगा और ऐसा वाहन ही मोबाईल जेनेटिक एकक के रूप में पंजीकृत होगा।]

[2][**5. आवेदन फीस.**—(1) नियम 4 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित आवेदन फीस होगी :—

(क) आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक या इमेजिंग केन्द्र के लिए [3][पच्चीस हजार रुपए]।

(ख) किसी संस्थान, अस्पताल, परिचर्यागृह या किसी अन्य स्थान जो आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला और आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक या इमेजिंग केन्द्र की संयुक्त रूप से या उनके किसी समुच्चय की सेवाएं उपलब्ध करा रहा है, के लिए [3][पैंतीस हजार रुपए]:

परन्तु यदि किसी आनुवंशिक क्लिनिक/प्रयोगशाला/केन्द्र आदि के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन समुचित प्राधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है तो रद्द किए जाने के 90 दिन के भीतर उसी निकाय के लिए आवेदक द्वारा आवेदन के पुनः प्रस्तुत किए जाने पर कोई फीस संदत्त की जानी अपेक्षित नहीं होगी :

परन्तु यह और कि किसी पश्चात्वर्ती आवेदन के साथ विहित फीस दी जाएगी। एक बार संदत्त की गई आवेदन फीस का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा :

[4][परंतु आगे यह कि किसी भी स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवा प्रदान कराने वाले सरकारी संस्थान को पंजीकरण अथवा पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु अपेक्षित शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।]

(2) आवेदन फीस समुचित प्राधिकारी के मुख्यालय पर [5][या इलेक्ट्रोनिक मोड द्वारा] संदेय किसी अनुसूचित बैंक में समुचित प्राधिकारी के पक्ष में लिखे गए मांग देय ड्राफ्ट द्वारा संदत्त की जाएगी। उपनियम (1) के अधीन आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक और इमेजिंग केन्द्र या किसी अन्य निकाय या व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के लिए समुचित प्राधिकारी द्वारा संगृहीत फीस, उस संबद्ध समुचित प्राधिकारी द्वारा संबद्ध समुचित प्राधिकारी के शासकीय पदाभिधान के नाम में खोले गए किसी बैंक खाते में निक्षिप्त की जाएगी और समुचित प्राधिकारी द्वारा उसका उपयोग, अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन से संबद्ध गतिविधियों के संबंध में किया जाएगा।]

6. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र.—(1) समुचित प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् और स्वयं का यह समाधान करने के पश्चात् कि आवेदक ने सभी अपेक्षाओं का पालन किया है, आवेदन को सलाहकार समिति के समक्ष उसकी सलाह के लिए प्रस्तुत करेगा।

(2) समुचित प्राधिकारी, सलाहकार समिति की सलाह को ध्यान में रखते हुए आवेदक को प्ररूप "ख" में, दो प्रतियों में, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रति रजिस्ट्रीकृत [2][आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक,

1. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 80(अ) दिनांक 7 फरवरी, 2012 द्वारा अंत:स्थापित।
2. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 418(अ) दिनांक 4 जून, 2012 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 599(अ) दिनांक 19 जून, 2017 द्वारा अंत:स्थापित।
5. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 345(अ) दिनांक 31-3-2021 द्वारा दिनांक 25-5-2021 से अंत:स्थापित।

अल्ट्रासाउंड क्लिनिक और इमेजिंग केन्द्र] द्वारा अपने कार्य के स्थान में किसी सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी :

परन्तु समुचित प्राधिकारी किसी आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक को एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रसव-पूर्व निदान परीक्षण या प्रक्रियाएं करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान कर सकेगा जो स्थान, उपस्कर अर्हित कर्मचारियों की उपलब्धता तथा ऐसे प्रयोगशाला या क्लिनिक द्वारा बनाए रखे गए स्तरमानों पर निर्भर करेगा।

[1][(2क)(क) पंजीकरण के प्रमाणपत्र की एक प्रति को पंजीकृत सचल चिकित्सीय एकक द्वारा वाहन में एक सुस्पष्ट स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।

(ख) ऐसे एकक के पंजीकरण प्रमाणपत्र में निम्नलिखित को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा :—

(i) इसके संचालन का क्षेत्र जो कि किसी भी स्थिति में इसके जिले के परे नहीं होगा जिसमें यह पंजीकृत हुआ है।

(ii) संस्थापित की गई सुवाह्य मशीनों और वाहन में प्रयोग की जा रही मशीनों की संख्या।

(iii) सुवाह्य मशीन का निर्माण वर्ष एवं मॉडल संख्या।

(iv) वाहन की पंजीकरण संख्या।

(v) सचल चिकित्सीय एकक के लिए सेवा प्रदानकर्ता का पूरा पता।

(2ख) प्रसव-पूर्व नैदानिक जांच करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सुवाह्य उपकरण मोबाइल मेडिकल यूनिट का एक अभिन्न भाग होगा, ऐसे उपकरण का ऐसी इकाई से बाहर किसी भी परिस्थिति में उपयोग नहीं किया जाएगा।

(2ग) वाहन के खराब हो जाने की स्थिति अथवा किसी अन्य कारण जिसकी वजह से मोबाइल यूनिटों को जेनेटिक क्लीनिक की तरह उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, तब उपयुक्त प्राधिकारी को सात दिनों की अवधि के भीतर सूचित करना होगा।]

(3) यदि समुचित प्राधिकारी की जांच के पश्चात् और आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् तथा सलाहकार समिति की सलाह को ध्यान में रखते हुए, यह समाधान हो जाता है कि आवेदक ने अधिनियम और इन नियमों की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया है तो वह ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, रजिस्ट्रीकरण के आवेदन को नामंजूर कर देगा और ऐसी नामंजूरी की संसूचना प्ररूप ''ग'' में विनिर्दिष्ट रूप में आवेदक को देगा।

(4) उपनियम (1) के अधीन कोई जांच जिसके अंतर्गत [2][आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक और इमेजिंग केन्द्र] के परिसर में निरीक्षण करना भी है, समुचित प्राधिकारी द्वारा आवेदक को सम्यक् सूचना देने के पश्चात् ही की जाएगी।

(5) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की मंजूरी या रजिस्ट्रीकरण के आवेदन की नामंजूरी, रजिस्ट्रीकरण के आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर यथास्थिति प्ररूप ''ख'' या प्ररूप ''ग'' में यथाविनिर्दिष्ट आवेदक को संसूचित की जाएगी।

1. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 80(अ) दिनांक 7 फरवरी, 2012 द्वारा अंतःस्थापित।
2. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।

(6) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अंतरणीय होगा। [1][आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक और इमेजिंग केन्द्र] के स्वामित्व में परिवर्तन या प्रबन्ध में परिवर्तन की अथवा उस रूप में कार्य करना समाप्त होने की दशा में, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दोनों प्रतियां समुचित प्राधिकारी को अभ्यर्पित की जाएंगी।

(7) [2][आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक और इमेजिंग केन्द्र] के स्वामित्व में परिवर्तन या प्रबन्ध में परिवर्तन की दशा में ऐसे केन्द्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक का नया स्वामी या प्रबन्धक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के लिए पुनः आवेदन करेगा।

7. रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता.—प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी होने की तारीक से पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

8. रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण.—(1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के समाप्त होने की तारीख से तीस दिन पहले प्ररूप "क" में दो प्रतियों में समुचित प्राधिकारी को दिया जाएगा। ऐसे आवेदन की अभिस्वीकृति रसीद नियम 4 के उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति से समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी की जाएगी।

(2) समुचित प्राधिकारी, जांच करने के पश्चात् और स्वयं का यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आवेदक ने इस अधिनियम और इन नियमों की सभी अपेक्षाओं का पालन किया है और इस निमित्त सलाहकार समिति की सलाह को ध्यान में रखते हुए, पहले दिए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के समाप्त होने की तारीख से पांच वर्ष की और अवधि के लिए प्ररूप "ख" में विनिर्दिष्ट रूप से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का नवीकरण करेगा।

(3) यदि समुचित प्राधिकारियों की जांच के पश्चात् और आवेदक को उसकी सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् तथा सलाहकार समिति की सलाह को ध्यान में रखते हुए, यह समाधान हो जाता है कि आवेदक ने अधिनियम और इन नियमों की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया है तो वह ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के आवेदन को नामंजूर कर देगा और ऐसी नामंजूरी की संसूचना प्ररूप "ग" में विनिर्दिष्ट रूप में आवेदक को देगा।

(4) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए संदेय फीस नियम 5 के उपनियम (1) में उपबंधित फ़ीस की आधी होगी।

(5) दो प्रतियों में नवीकृत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या नवीकरण के लिए आवेदन की नामंजूरी की संसूचना के प्राप्त होने पर, पहले के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दोनों प्रतियां आनुवंशिक/परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक क्लिनिक द्वारा समुचित प्राधिकारी को तुरन्त अभ्यर्पित की जाएंगी।

(6) समुचित प्राधिकारी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को नवीकरण करने में असफल होने या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के आवेदन की नामंजूरी की संसूचना न दिए जाने की दशा में, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र नवीकरण हुआ समझा जाएगा।

9. अभिलेखों का रखा जाना और उनका परिरक्षण.—[3][(1) प्रत्येक आनुवंशिक केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, [4][जेनेटिक क्लीनिक सहित मोबाइल जेनेटिक क्लीनिक], अल्ट्रासाउंड

1. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 80(अ) दिनांक 7 फरवरी, 2012 द्वारा प्रतिस्थापित।

क्लिनिक और इमेजिंग केन्द्र एक रजिस्टर रखेगा जिसमें क्रमवार उन पुरुषों या महिलाओं के, जिन्हें आनुवंशिक परामर्श दिया गया प्रसव पूर्व निदान प्रक्रियाओं या प्रसव पूर्व निदान परीक्षणों के अधीन रखा गया, नाम और पते, उनके दम्पत्ति या पिता के नाम और वह तारीख जिसको वे प्रथमतः ऐसे परामर्श, प्रक्रिया या परीक्षण के लिए उपस्थिति हुई, दर्शित होंगे।]

(2) प्रत्येक आनुवंशिक परामर्श केन्द्र द्वारा ऐसी प्रत्येक महिला, जिसे परामर्श दिया गया है, की बाबत रखा जाने वाला अभिलेख प्ररूप "घ" में विनिर्दिष्ट रूप में होगा।

[1][(3) प्रत्येक आनुवंशिक प्रयोगशाला द्वारा ऐसी प्रत्येक पुरुष या महिला, जिसे किसी प्रसव पूर्व निदान प्रक्रिया/तकनीक/परीक्षण के अधीन रखा गया, की बाबत रखा जाने वाला अभिलेख प्ररूप ङ में विनिर्दिष्ट रूप में होगा।]

[2][(4) प्रत्येक [3][जेनेटिक क्लीनिक सहित मोबाइल जेनेटिक क्लीनिक] द्वारा ऐसी प्रत्येक पुरुष या महिला, जिसे किसी प्रसव पूर्व निदान प्रक्रिया/तकनीक/परीक्षण के अधीन रखा गया, की बाबत रखा जाने वाला अभिलेख प्ररूप च में विनिर्दिष्ट रूप में होगा।]

(5) समुचित प्राधिकारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की मंजूरी या उसके नवीकरण के आवेदनों का स्थाई अभिलेख प्ररूप "ज" में विनिर्दिष्ट रूप में रखेगा। कर्मचारी, स्थान, पते और संस्थापित उपस्कर के प्रत्येक तबदीली के सूचनापत्रों को भी स्थाई अभिलेखों के रूप में परिरक्षित रखेगा।

(6) [4][आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक और इमेजिंग केन्द्र] द्वारा केस से संबंधित सभी अभिलेख, सहमति-प्ररूपों, प्रयोगशाला परिणाम, सूक्ष्मदर्शी चित्र, सोनोग्राफिक प्लेट या स्लाइड, सिफारिशों और पत्र, यथास्थिति, परामर्श, प्रसवपूर्व प्रक्रिया या प्रसवपूर्व निदान परीक्षण के पूरा होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परिरक्षित रखे जाएंगे। किन्हीं विधि कार्यवाही की दशा में, अभिलेखों को विधिक कार्यवाहियों के अंतिम निपटारे तक या दो वर्ष की उक्त अवधि के समाप्त होने तक, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, परिरक्षित रखा जाएगा।

(7) यदि [5][आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक और इमेजिंग केन्द्र] कम्प्यूटर या अन्य इलेक्ट्रानिक उपस्कर के संबंध में अभिलेख रखता है तो उस अभिलेख की एक मुद्रित प्रति ली जाएगी और ऐसे अभिलेख के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा अधिप्रमाणित करने के पश्चात् परिरक्षित रखी जाएगी।

[6][(8) प्रत्येक आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक और इमेजिंग केन्द्र, उनके द्वारा की गई सभी गर्भधारण पूर्व या गर्भावस्था से संबंधित प्रक्रियाओं/तकनीकों/परीक्षणों की बाबत एक पूर्ण रिपोर्ट प्रत्येक मास की बाबत आने वाले मास की पांचवीं तारीख तक संबद्ध समुचित प्राधिकारी को भेजेगा।]

10. प्रसवपूर्व निदान प्रक्रियाएं करने की शर्तें.—(1) [7][एमनिओसेंटेसिस, कोरियोनिक विल्ली बाइओप्सी, फोइटोस्कोपी, फोइटल त्वचा या अंग जीवऊतिपरीक्षा या कोर्डोयोसेंटेसिस जैसे प्रसव पूर्व निदान तकनीक/परीक्षण/प्रक्रिया, या परिइम्प्लान्टेशन आनुवंशिक निदान करने से पूर्व,

1. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 80(अ) दिनांक 7 फरवरी, 2012 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा अंत:स्थापित।
7. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।

ऐसी प्रक्रिया कराने वाले व्यक्ति से ऐसी भाषा में, जिसे वह समझता है, प्ररूप छ में यथा विनिर्दिष्ट एक लिखित सहमति उससे, अभिप्राप्त की जाएगी :]

परन्तु जहां आनुवंशिक क्लिनिक ने शरीर के किसी उत्तक या शरीर के द्रव्य का नमूना लिया हो और उसे विश्लेषण या परीक्षण के लिए किसी आनुवंशिक प्रयोगशाला को भेजा हो वहां आनुवंशिक प्रयोगशाला के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह प्ररूप ''छ'' में पुनः सहमति प्राप्त करे।

[1][(1क) किसी गर्भवती महिला की अल्ट्रा सोनोग्राफी/इमेज स्केनिंग करने वाला व्यक्ति, ऐसी अल्ट्रा सोनाग्राफी/इमेज स्केनिंग की प्रत्येक रिपोर्ट पर यह घोषणा देगा/देगी कि उसने गर्भवती स्त्री के भ्रूण के लिंग का न तो पता लगाया है न ही किसी व्यक्ति को प्रकट किया है। गर्भवती महिला, ऐसी अल्ट्रा सोनोग्राफी/इमेज स्केनिंग कराने से पूर्व यह घोषणा करेगी कि वह अपने भ्रूण का लिंग जानना नहीं चाहती है।]

(2) सभी राज्य सरकारें और संघ राज्यक्षेत्र राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में प्ररूप ''छ'' का अनुवाद जारी कर सकते हैं और जहां गर्भवती महिला द्वारा समझी गई भाषा में प्राधिकृत अनुवाद उपलब्ध नहीं है वहां आनुवंशिक क्लिनिक प्ररूप ''छ'' का उस भाषा में, जो वह समझती है, अनुवाद कर सकता है।

[2][**11. निरीक्षण के लिए सुविधाएं.**—(1) प्रत्येक आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, इमेजिंग केन्द्र, परिचर्यागृह, अस्पताल, संस्थान या कोई अन्य स्थान जहाँ गर्भधारण पूर्व या बाद लिंग चयन या लिंग के प्रसव पूर्व अवधारण के लिए किसी प्रक्रिया, तकनीक को करने में सक्षम मशीन या उपस्कर प्रयोग किया जाता है, स्थान, उपस्कर और अभिलेखों के निरीक्षण के लिए सभी उपयुक्त सुविधाएं, अधिनियम के अधीन ऐसे संस्थाओं के वे चाहे जिस नाम से ज्ञात हों, रजिस्ट्रीकरण के लिए, या ऐसी सुविधाओं के दुरुपयोग का पता लगाने के लिए या उनके विज्ञापन के लिए या गर्भधारण पूर्व या बाद लिंग चयन या भ्रूण के लिंग का पता लगाने/प्रकट करने या किसी अन्य रीति से अधिनियम के उपबंधों के अतिलंघन के मामलों का पता लगाने के लिए, समुचित प्राधिकारी को या समुचित प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराएगा।]

[3][(2) सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी किसी संगठन द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी अल्ट्रासाउंड मशीन, स्केनर या अन्य उपकरण, भ्रूण के लिंग की पहचान करने वाली मशीन को सील और बंद कर सकता है, यदि संगठन ने अधिनियम के तहत स्वयं पंजीकरण नहीं करवाया है। ऐसे संगठनों की ये मशीनें जब्त कर ली जाएंगी और अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगा।]

[4][**12. तलाशी और अधिग्रहण के लिए प्रक्रिया.**—(1) समुचित प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज, बही, पेम्पलेट, विज्ञापन या वहां पाई गई किसी अन्य सारभूत वस्तु की तलाशी और परीक्षा के प्रयोजनों के लिए दो या अधिक स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में किसी आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, इमेंजिंग क्लिनिक केन्द्र या अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में सभी उचित समयों पर प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा और यदि यह विश्वास करने के कारण हैं कि उससे अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य मिल सकेगा तो उसे मुहरबंद और अभिगृहीत कर सकेगा।

1. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा अंत:स्थापित।
2. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 426(अ) दिनांक 31 मई, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।

स्पष्टीकरण.—इन नियमों में—

(1) 'आनुवंशिक प्रयोगशाला/आनुवंशिक क्लिनिक/आनुवंशिक परामर्श केन्द्र' के अंतर्गत कोई अल्ट्रासाउंड केन्द्र/इमेजिंग केन्द्र/परिचर्यागृह/अस्पताल/संस्थान या कोई अन्य स्थान, वह चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, जहाँ गर्भधारण पूर्व या बाद लिंग चयन या भ्रूण के लिंग का प्रसव पूर्व पता लगाने के लिए कोई प्रक्रिया, तकनीक या परीक्षण करने के लिए समर्थ मशीन या उपस्कर उपयोग में लाया जाता है, सम्मिलित होंगे;

(2) 'सारभूत वस्तु' के अंतर्गत अभिलेख, मशीनें और उपस्कर सम्मिलित होंगे; और

(3) 'अभिगृहीत' और 'अभिग्रहण' के अंतर्गत क्रमशः 'मुहरबंद' और 'मुहरबंद करने' सम्मिलित होंगे।]

(2) [1][आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक और इमेजिंग केन्द्र] में पाए गए और अभिगृहीत किसी दस्तावेज, अभिलेख, रजिस्टर, पुस्तक, पैम्फलेट, विज्ञापन या किसी अन्य तात्विक वस्तु की सूची अभिग्रहण करने वाले स्थान पर दो प्रतियों में तैयार की जाएगी। ऐसी सूची की दोनों प्रतियों के प्रत्येक पृष्ठ पर समुचित प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा और अभिग्रहण साक्षियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे :

परन्तु यह सूची साक्षियों की उपस्थिति में अभिग्रहण के स्थान से भिन्न किसी स्थान पर हो सकेगा, यदि ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, अभिग्रहण करने के स्थान पर सूची तैयार करना साध्य नहीं है।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूची की एक प्रति अभिस्वीकृति के अधीन उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसकी अभिरक्षा से दस्तावेज, अभिलेख, रजिस्टर पुस्तक, पैम्फलेट, विज्ञापन या कोई अन्य तात्विक वस्तु अभिग्रहण की गई है :

परन्तु अभिगृहीत ऐसे दस्तावेज, अभिलेख, रजिस्टर, पुस्तक, पैम्फलेट, विज्ञापन या अन्य तात्विक वस्तु की सूची की एक प्रति अभिस्वीकृति के अधीन [2][आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक और इमेजिंग केन्द्र] के स्वामी या प्रबंधक को परिदत्त की जा सकेगी या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकेगी, यदि अभिगृहीत दस्तावेज, अभिलेख, रजिस्टर, पुस्तक, पैम्फलेट, विज्ञापन या अन्य तात्विक वस्तु की अभिरक्षा को अभिस्वीकार करने वाला कोई व्यक्ति अभिग्रहण करने के स्थान पर उपलब्ध नहीं है।

(4) यदि अभिगृहीत कोई तात्विक वस्तु विनश्वर प्रकृति की है तो समुचित प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी तात्विक वस्तु को मुद्रांकित करने, उसकी पहचान तथा उसके परिरक्षण के लिए तत्परतापूर्वक प्रबंध करेगा और यदि उसका विश्लेषण या परीक्षण अपेक्षित है तो उसे विश्लेषण या परीक्षण के लिए वहां भी भेजेगा जहां ऐसी सुविधा है :

परन्तु ऐसी विश्नवर तात्विक वस्तु परिरक्षण करने के लिए [3][आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक और इमेजिंग केन्द्र] द्वारा प्रयुक्त प्रशीतक या अन्य उपस्कर को ऐसे समय तक मुद्रांकित किया जा सकेगा जब तक ऐसी विनश्वर तात्विक वस्तु के सुरक्षित हटाए जाने के लिए प्रबंध नहीं किया जा सकता हो और ऐसी

1. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।

सम्भाव्यता में [1][आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक और इमेजिंग केन्द्र] के परिसरों में अभिगृहीत तात्विक वस्तु को रखने का उल्लेख अभिग्रहण की सूची में किया जाएगा।

(5) तलाशी और अभिग्रहण संक्रिया के पूरा न करने की दशा में, समुचित प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी अभिगृहीत किए जाने वाले दस्तावेजों, अभिलेखों, पुस्तक या किसी अन्य तात्विक वस्तु को सुरक्षित रखने, सूचीबद्ध करने और हटाने के लिए ऐसे दस्तावेजों, अभिलेखों, पुस्तकों या किसी तात्विक वस्तु में किसी गड़बड़ी को रोकने के लिए [2][आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक और इमेजिंग केन्द्र] के परिसरों में गार्ड रखकर या मुद्रांकित करके प्रबंध कर सकेगा।

13. कर्मचारियों, स्थान या उपस्कर में तब्दीली की सूचना.—प्रत्येक [3][आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक और इमेजिंग केन्द्र] कर्मचारी, स्थान, पता और संस्थापित उपस्कर में की गई प्रत्येक तब्दीली की सूचना [4][ऐसे परिवर्तन की संभावित तारीख से कम से कम तीस दिन पूर्व और समुचित प्राधिकारी से पंजीयन प्रमाणपत्र के पुनः जारी करने का अनुरोध जिसमें परिवर्तन का विधिवत समावेश होगा], समुचित प्राधिकारी को देगा।

14. विश्लेषण या परीक्षण की शर्तें और प्रसवपूर्व निदान प्रक्रियाएं.—(1) कोई आनुवंशिक प्रयोगशाला किसी नमूने को विश्लेषण या परीक्षण के लिए तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि उसे किसी आनुवंशिक क्लिनिक द्वारा उसको निर्दिष्ट न किया गया हो।

(2) प्रत्येक प्रसवपूर्व निदान प्रक्रिया संदैव अल्ट्रा सोनोग्राफी से भ्रूण और अपरा का पता लगाकर तुरंत आरंभ की जाएगी और प्रसवपूर्व निदान प्रक्रिया सीधे अल्ट्रासोनोग्राफीय अनुश्रवण के अधीन की जाएगी ताकि भ्रूण और अपरा को कोई नुकसान होने से रोका जा सके।

15. सलाहकार समितियों की बैठकें.—समुचित प्राधिकारी को सलाह देने के लिए धारा 17 की उपधारा (5) के अधीन गठित सलाहकार समितियों की किन्हीं दो बैठकों के बीच अन्तर्वर्ती अवधि साठ दिन से अधिक नहीं होगी।

16. केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के सदस्यों के भत्ते.—(1) बोर्ड में नियुक्त पदेन सदस्य और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के अन्य अधिकारी बोर्ड की बैठकों में उपस्थित होने के लिए उनको लागू यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता के हकदार होंगे।

(2) बोर्ड में नियुक्त किए गए गैर-सरकारी सदस्य और चयन किए संसद सदस्य बोर्ड की बैठकों में उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता के हकदार होंगे जैसाकि केन्द्रीय सरकार के यात्रा भत्ता नियमों के अधीन, यथास्थिति, गैरसरकारी सदस्यों और संसद सदस्यों को अनुज्ञेय है।

17. सार्वजनिक सूचना.—(1) प्रत्येक [5][आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक और इमेजिंग केन्द्र] जनता की सूचना के लिए इस आशय की एक सूचना कि भ्रूण का लिंग प्रकट करना विधि के अधीन प्रतिषिद्ध है, अंग्रेजी में और स्थानीय भाषा या भाषाओं में अपने परिसरों में प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेंगे।

1. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 418(अ) दिनांक 4 जून, 2012 द्वारा "ऐसे परिवर्तन के तीस दिनों के अन्दर" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) अधिनियम और इन नियमों की कम से कम एक-एक प्रति प्रत्येक [1][आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक और इमेजिंग केन्द्र] के परिसरों में उपलब्ध होगी तथा ग्राहकों के लिए मांग पर परिशीलन के लिए उपलब्ध होगी।

(3) समुचित प्राधिकारी, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र की सरकार/प्रशासन रजिस्ट्रीकृत [2][आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक और इमेजिंग केन्द्र] की सूचियों और रिपोर्टों के निष्कर्षों तथा अपने पास उपलब्ध अन्य सूचना को, जनता की जानकारी के लिए और इस क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा उपयोग के लिए आवधिक रूप से प्रकाशित कर सकेगी/सकेगा।

[3][**18. आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, इमेजिंग केन्द्र आदि में कार्यरत व्यक्तियों द्वारा पालन की जाने वाली आचार संहिता.**—सभी व्यक्ति जिनके अंतर्गत अधिनियम/इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड केन्द्र, इमेजिंग केन्द्र का स्वामी, कर्मचारी या उससे सहयुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी हैं,—

(i) किसी रीति से भ्रूण के लिंग का पता लगाने या उसे प्रकट करने का कार्य नहीं करेगा या उससे सहबद्ध नहीं होगा या उसे करने में सहायता नहीं करेगा ;

(ii) किसी ऐसे व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा या नियोजित नहीं करवाएगा जिसके पास प्रसव पूर्व निदान तकनीकों/प्रक्रियाओं, तकनीकों और परीक्षण, जिसके अंतर्गत अल्ट्रा सोनोग्राफी भी है, करने के लिए आवश्यक अर्हताएं नहीं हैं ;

(iii) गर्भधारण पूर्व या बाद लिंग चयन या अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के सिवाय, भ्रूण के लिंग का पता लगाने के लिए कोई तकनीक या प्रक्रिया नहीं करेगा या करवाएगा या स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से करने में सहायता नहीं देगा ;

(iv) अधिनियम/इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्थान से भिन्न स्थान पर अधिनियम के अधीन कोई तकनीक या परीक्षण या प्रक्रिया न तो करेंगे न करवाएंगे या स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से करने में सहायता नहीं देंगे ;

(v) यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों का किसी भी रीति से अतिलंघन नहीं किया जाता है ;

(vi) यह सुनिश्चित करेंगे कि गर्भधारण पूर्व या बाद लिंग चयन या अधिनियम की धारा 4 (2) के अंतर्गत न आने वाले प्रयोजनों के लिए भ्रूण के लिंग का पता लगाने की दशा में कोई तकनीक, परीक्षण या प्रक्रिया करने वाला व्यक्ति सूचित किया जाता है कि ऐसी प्रक्रिया अधिनियम और इन नियमों के अतिलंघन की दिशा में है जो दंडनीय अपराध हैं ;

(vii) विधि प्रवर्तन अभिकरण की, अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों का अतिलंघन करने वाले का जवाब तलब करने में सहायता करेंगे ;

(viii) स्वयं पहनी गई ड्रेस पर मुख्य रूप से अपना नाम और पदनाम प्रदर्शित करेंगे ;

1. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा अंत:स्थापित।

(ix) अपने हस्ताक्षर के नीचे अपना पूरा नाम और पदनाम लिखेंगे ;

(x) किसी भी कारण स्त्री भ्रूण की हत्या न करेंगे, न करना अनुज्ञात करेंगे न करवाएंगे ;

(xi) वृत्तिक कदाचार का कोई अन्य कार्य नहीं करेंगे ।]

[1][**18क. समुचित प्राधिकारियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली आचार संहिता.**—(1) अधिनियम के अधीन अधिसूचित राज्य, जिला और उप-जिला सहित सभी समुचित प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित साधारण आचार संहिता का पालन करेंगे, अर्थात् :—

(i) सभी समय गरिमा और सत्यनिष्ठा बनाए रखेंगे;

(ii) अधिनियम और नियमों के उपबंधों का पालन और कार्यान्वयन कार्य के प्रक्रम को संतुलित और मानकीकृत रीति में करेंगे;

(iii) अपने कार्य को न्यायसंगत रीति में बिना किसी पक्षपात या दोष की बोधगम्य उपधारणा से करेंगे;

(iv) ऐसी टिप्पणियां करने से बचेंगे जो लिंग, जाति, धर्म के आधार पर व्यक्तियों को अप्रतिष्ठित करती हैं;

(v) अपनी अनुपस्थिति में प्रशासनिक आदेश द्वारा अपनी शक्तियों को किसी प्राधिकृत अधिकारी को प्रदत्त करेंगे और प्राधिकृत करने के आदेश को अनुवर्ती कार्रवाई के लिए दस्तावेजी सबूत के रूप में परिरक्षित करेंगे।

(2) अधिनियम के अधीन अधिसूचित राज्य, जिला और उप-जिला सहित सभी समुचित प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ साथ, सलाहकार समितियों के लिए निम्नलिखित संहिता का पालन करेंगे, अर्थात् :—

(i) इस बात का सुनिश्चय करेंगे कि सलाहकार समिति के पुनर्गठन, कार्यों और अन्य सुसंगत विषय सलाहकार समिति नियम, 1996 के उपबंधों के अनुसार होंगे;

(ii) यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई व्यक्ति जो गर्भधारण-पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) के अधीन मामलों के लिए अन्वेषण तंत्र का भाग है, को सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत या नियुक्त नहीं किया जाएगा;

(iii) यह सुनिश्चित करेंगे कि सलाहकार समिति में रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया रिक्ति कारित होने की संभावित तारीख से कम से कम नब्बे दिन पूर्व आरंभ हो जाएगी;

(iv) यह सुनिश्चित करेंगे कि सलाहकार समिति में कोई व्यक्ति सदस्य या विधिक विशेषज्ञ के रूप में भाग नहीं लेगा यदि उसका कोई हित का द्वन्द्व है;

(v) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, रद्दकरण और निलंबन के संबंध में विनिश्चयों का तेजी से निपटारा करने के लिए सलाहकार समिति की प्रायः बैठकें करेंगे।

(3) अधिनियम के अधीन अधिसूचित राज्य, जिला और उप-जिला सहित सभी समुचित प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ साथ, शिकायत और अन्वेषण के लिए निम्नलिखित साधारण आचरण का पालन करेंगे, अर्थात् :—

(i) अधिनियम के अधीन प्रत्येक शिकायत या परिवाद के रजिस्ट्रीकरण के समर्थन में समुचित डायरियां रखेंगे;

1. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 119(अ) दिनांक 24 फरवरी, 2014 द्वारा अंत:स्थापित।

(ii) सभी शिकायतों को देखेंगे और शिकायतों की अनुवर्ती कार्रवाई में पारदर्शिता रखेंगे;

(iii) शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर सभी शिकायतों का अन्वेषण करेंगे और ऐसी शिकायत प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर अन्वेषण पूरा करेंगे;

(iv) जहां तक व्यवहार्य हो, अधिनियम के अधीन मामलों के अन्वेषण के लिए पुलिस को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अधिनियम के अधीन मामलों का विचारण, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन शिकायत-मामलों के रूप में किया जाता है।

(4) अधिनियम के अधीन अधिसूचित राज्य, जिला और उप-जिला सहित सभी समुचित प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदनों के रजिस्ट्रीकरण और नवीकरण के लिए निम्नलिखित आचरण का पालन करेंगे, अर्थात् :—

(i) नवीकरण और नए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 70 दिन की अवधि के भीतर निपटान करेंगे;

[1][(ii) यह सुनिश्चित करें कि यदि उक्त अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी प्रावधान के उल्लंघन हेतु आवेदक के विरुद्ध कोई मामला किसी भी न्यायालय में लंबित हो, तो नए पंजीकरण या पंजीकरण के नवीकरण हेतु कोई आवेदन स्वीकार न किया जाए।]

(5) अधिनियम के अधीन अधिसूचित राज्य, जिला और उप-जिला सहित सभी समुचित प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ-साथ, विधिक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित आचरण का पालन करेंगे, अर्थात् :—

(i) यह सुनिश्चित करेंगे कि साक्ष्यों के संरक्षण और व्यय संग्रहित रजिस्ट्रीकरण रकम में से चुकाए जाएंगे;

(ii) यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार की सभी अधिसूचनाओं को न्यायालय में मूल रूप में प्रस्तुत किया जाए और उनकी एक प्रति को परिरक्षित किया जाएगा;

(iii) यह सुनिश्चित करेंगे कि मामले फाइल करते समय मामले के सभी कागज पत्र, अभिलेख, विवरणियां, साक्ष्य पंचनामा और मामले की फाइल से उपाबद्ध अन्य तात्विक वस्तुएं मूल रूप में हों;

(iv) प्रसुविधा के अभिग्रहण और सील करने में विधिक कार्रवाई के प्रक्रम में रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया जाए;

(v) यह सुनिश्चित करेंगे कि गर्भधारण-पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) नियम, 1996 के उपबंधों को कार्यान्वित करते समय, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 (1971 का 34) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का कोई उल्लंघन न हो;

(vi) दोषमुक्ति के किसी आदेश की दशा में दोषमुक्ति से तीस दिन के भीतर किंतु दोषमुक्ति के आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिन से पूर्व उच्चतर न्यायालयों में अपील फाइल करने के लिए, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों के लिए तुरंत कार्रवाई करेंगे।

(6) अधिनियम के अधीन अधिसूचित राज्य, जिला और उप-जिला सहित सभी समुचित प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और किए गए सभी रजिस्ट्रेशनों की सूचना को तुरंत रूप से उपलब्ध कराने के लिए प्ररूप ज में रखेंगे।

1. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 60(अ) दिनांक 28 जनवरी, 2015 द्वारा दिनांक 28-1-2015 से प्रतिस्थापित।

(7) अधिनियम के अधीन अधिसूचित राज्य, जिला और उप-जिला सहित सभी समुचित प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ-साथ, अल्ट्रासाउंड उपस्करों के निम्नलिखित विनियम का पालन करेंगे, अर्थात् :—

(i) अल्ट्रासाउंड मशीनों के विक्रय और आयात जिसके अंतर्गत पोर्टेबल या वापस-क्रय, असेम्बल्ड, उपहार की गई, स्क्रैप या डेमो भी शामिल है, की निगरानी करना;

(ii) अल्ट्रासाउंड विनिर्माताओं, डीलरों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं तथा अल्ट्रासाउंड मशीनों के विक्रय से संबंधित किसी व्यक्ति से राज्य स्तर पर नियमित त्रैमासिक रिपोर्टों का सुनिश्चय;

(iii) अरजिस्ट्रीकृत मशीनों की पहचान करने के लिए राज्य या जिले में विक्रय की गई और प्रचालन कर रही सभी अल्ट्रासाउंड मशीनों का आवधिक सर्वेक्षण और परीक्षण संचालित करना;

(iv) अरजिस्ट्रीकृत अल्ट्रासाउंड मशीन के स्वामी और अरजिस्ट्रीकृत अल्ट्रासाउंड मशीन के विक्रेता के विरुद्ध शिकायत फाइल करना;

(8) अधिनियम के अधीन अधिसूचित राज्य, जिला और उप-जिला समिति सभी समुचित प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ-साथ, निरीक्षण और निगरानी के लिए निम्नलिखित आचरण का पालन करेंगे, अर्थात् :—

(i) सभी रजिस्ट्रीकृत प्रसुविधाओं का प्रत्येक नब्बे दिन में एक बार नियमित निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति का दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में परिरक्षण करेंगे और निरीक्षण की एक प्रति निरीक्षण की गई प्रसुविधा के स्वामी को सौंपेंगे तथा निरीक्षण के संबंध में अभिस्वीकृति अभिप्राप्त करेंगे;

(ii) तीन मास में एक बार सभी निरीक्षण रिपोर्टों को अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सलाहकार समिति के समक्ष रखेंगे;

(iii) फाइल किए गए मामलों की संख्या और सिद्धदोष ठहराए गए व्यक्तियों, किए गए रजिस्ट्रीकरण, निलंबित या रद्द किए गए रजिस्ट्रीकरण, रद्द या निलंबित की गई चिकित्सा अनुज्ञप्तियां, किए गए निरीक्षण, जिला स्तर पर आयोजित की गई सलाहकार समिति की बैठकों की द्विमासिक प्रगति रिपोर्ट रखेंगे और राज्य स्तर पर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट रखेंगे;

(iv) (क) 7 दिन के अंदर विरचित आरोपों की प्रति प्राप्त करेंगे तथा चिकित्सकों की दशा में विरचित आरोपों के ब्यौरों को विरचित आरोपों की प्रति की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर राज्य चिकित्सा परिषद् को प्रस्तुत करेंगे;

(ख) यथा संभव शीघ्र सिद्धदोष ठहराए जाने के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करेंगे और चिकित्सकों को सिद्धदोष ठहराए जाने की दशा में सिद्धदोष ठहराए जाने के आदेश की प्रमाणित प्रति, सिद्धदोष ठहराए जाने के आदेश की प्रति की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

(9) अधिनियम के अधीन अधिसूचित राज्य, जिला और उप-जिला सहित सभी समुचित प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ-साथ, जवाबदेही के लिए निम्नलिखित आचरण का पालन करेंगे, अर्थात् :—

(i) अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन से संबंधित किसी संकल्प के लिए भारत सरकार की पूर्व अनुमति या अनुमोदन प्राप्त करेंगे;

(ii) अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर यदि कोई अपेक्षित हो तो, तुरंत कार्रवाई करेंगे और यदि ऐसा करने में वह असमर्थ रहता है या रहती है तो वह उक्त अधिनियम की धारा 31 के अधीन संरक्षण का हकदार नहीं होगा और वह अपनी स्वयं की क्षमता एवं लागत पर मामले का बचाव करेगा।

(10) अधिनियम के अधीन अधिसूचित राज्य, जिला और उप-जिला सहित सभी समुचित प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित वित्तीय मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पालन करेंगे, अर्थात् :—

(i) सभी स्तरों पर संयुक्त रूप से दो अधिकारियों द्वारा परिचालित पृथक् और स्वतंत्र बैंक खाता रखेंगे;

(ii) धन के संवितरण के लिए पारदर्शिता को सुनिश्चय करेंगे और मानक सरकारी [वित्तीय संनियमों का पालन करेंगे।]

[19. अपील.—(1) उपजिला स्तर पर समुचित प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, उपजिला स्तरीय वाला समुचित प्राधिकारी के उस आदेश के 30 दिन के भीतर जिला स्तर पर समुचित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

(2) जिला स्तर पर समुचित प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, जिला स्तरीय समुचित प्राधिकारी के आदेश से 30 दिन के भीतर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर के समुचित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

(3) यथास्थिति जिला समुचित प्राधिकारी या राज्य/संघ राज्यक्षेत्र समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक अपील, उसकी प्राप्ति से 60 दिन के भीतर निपटाई जाएगी।

(4) यदि उपनियम (1), (2) या (3) के अधीन यथा विहित समय के भीतर कोई अपील नहीं की जाती है तो उस उपनियम के अधीन समुचित प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता ऐसी अपील करने से समुचित कारण के लिए निवारित था तो विलंब को माफ कर सकेगा।]

[19क. अधिनियम की धारा 21 के खण्ड (i) और (ii) के अधीन अपील फाइल करने और उसका निपटान करने की रीति.—(1) (क) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय समुचित प्राधिकारी या संघ राज्य क्षेत्र प्रदेश के समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई के लिए प्रत्येक केन्द्र शासित प्रदेश के लिए एक केन्द्रीय (संघ) अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करेगी।

(ख) केन्द्रीय (संघ) अपीलीय प्राधिकारी कम से कम संघराज्य क्षेत्र के समुचित प्राधिकारी के पद के स्तर का होगा।

(2) (क) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य के समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील करने के प्रयोजन के लिए राज्य अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करेगी।

(ख)

1. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा अंत:स्थापित।
2. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 492(अ) दिनांक 22 मई, 2017 द्वारा अंत:स्थापित।

(ख) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य अपीलीय प्राधिकारी प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण या कम से कम राज्य समुचित प्राधिकारी के समकक्ष कोई अधिकारी होगा।

(3)(क) केन्द्रीय समुचित प्राधिकारी या संघ क्षेत्र प्रदेश के समुचित प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या निरस्तीकरण के लिए पारित आदेश के विरुद्ध, केन्द्रीय (संघ) अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की जाएगी।

(ख) राज्य के समुचित प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या निरस्तीकरण के लिए पारित आदेश के विरुद्ध, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की जाएगी।

(4) केन्द्रीय अपीलीय प्राधिकारी या राज्य अपीलीय प्राधिकारी के पास कोई अपील—

(क) प्ररूप-झ में विनिर्दिष्ट अपील ज्ञापन के प्ररूप में की जाएगी;

(ख) साथ में मामले के तथ्यों को स्पष्ट करते हुए प्ररूप-ञ में विनिर्दिष्ट शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा; और

(ग) साथ में परिशिष्ट-क में यथा निर्दिष्ट अनुक्रमणिका, सारांश और दस्तावेजों की सूची संलग्न की जाएगी।

(5) केन्द्रीय अपीलीय प्राधिकारी या राज्य अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रत्येक अपील के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे, अर्थात् :—

(क) जिन आदेशों या दस्तावेजों के विरुद्ध अपील की जा रही है, उनकी स्वप्रमाणित प्रतियां;

(ख) अपीलार्थी जिन दस्तावेजों को विश्वसनीय समझे, उनकी प्रतियां;

(ग) अपील की अनुक्रमणिका; और

(घ) सारांश जिसमें घटनाओं का विवरण और दस्तावेजों की सूची हो।

(6) प्रत्येक अपील, जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जानी है, उसकी प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी :

परंतु केन्द्रीय अपीलीय प्राधिकारी या राज्य अपीलीय प्राधिकारी, यदि उक्त अवधि के भीतर अपील फाइल न किए जाने का पर्याप्त कारण हो तो वह, तीस दिनों की अवधि के पश्चात् अपील फाइल करने की अनुज्ञा दे सकता है।

(7) केन्द्रीय अपीलीय प्राधिकारी या राज्य अपीलीय प्राधिकारी प्रतिवादी को नोटिस जारी करेगा जो निम्नलिखित में से किसी रूप में दिया जाएगा, अर्थात् :—

(क) अपीलार्थी द्वारा तामील करेगा; या

(ख) परिदान (दस्ती) द्वारा; या

(ग) सम्यक् पावती पत्र के साथ रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा; या

(घ) इलेक्ट्रॉनिक मेल या फैक्स द्वारा

(8)(क) केन्द्रीय या राज्य अपीलीय प्राधिकारी अपील प्राप्त होने पर पक्षकारों की सुनवाई करेगा और अपील में उल्लिखित पते पर ई-मेल या कुरियर द्वारा सुनवाई की तारीख से सात दिन पहले सूचित करेगा;

(ख) अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी स्वयं उपस्थित हो सकता है या सम्यक प्राधिकृत अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है।

(ग) यदि अपीलार्थी विनिर्दिष्ट तारीख को केन्द्रीय अपीलीय प्राधिकारी या राज्य अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है, तो इस चूक के कारण अपील को खारिज किया जा सकता है।

(घ) केन्द्रीय अपीलीय प्राधिकारी या राज्य अपीलीय प्राधिकारी, यदि पर्याप्त कारण बताया जाए, अपील की किसी भी अवस्था में पक्षकारों को या किसी एक पक्ष को समय दे सकता है और समय-समय पर अपील की सुनवाई स्थगित कर सकता है और ऐसा करने के कारणों को लिखित में अभिलिखित किया जाएगा :

बशर्ते, अपील को तीन बार से अधिक स्थगित नहीं किया जाएगा।

(ङ) अपील का निपटान अपील फाइल होने के साठ दिन के भीतर किया जाएगा।

(9) केन्द्रीय अपीलीय प्राधिकारी या राज्य अपीलीय प्राधिकारी अपील की प्राप्ति के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में आदेश पारित करके अपील पर निर्णय देगा, जिसे केन्द्रीय अपील प्राधिकारी या राज्य अपीलीय प्राधिकारी के मुहर के अधीन इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।]

अनुसूची 1 [1][* * *]

अनुसूची 2 [2][* * *]

अनुसूची 3 [3][* * *]

[4][प्ररूप क

[नियम 4 (1) और नियम 8 (1) देखिए]

(संलग्नक के रूप में समर्थक दस्तावेज भी दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है)

आनुवंशिक परामर्श केन्द्र/आनुवंशिक प्रयोगशाला/आनुवंशिक क्लिनिक/ अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/ इमेजिंग केन्द्र के रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन।

1. आवेदक का नाम

(उस संगठन का नाम उपदर्शित करें जिसे रजिस्ट्रीकृत किया जाना है)

1. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा विलुप्त।
2. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा विलुप्त।
3. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा विलुप्त।
4. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. आवेदक का पता
3. रंजिस्ट्रीकृत की जाने वाली सुविधा का प्रकार

 (कृपया विनिर्दिष्ट करें कि आवेदन आनुवंशिक परामर्श केन्द्र/आनुवंशिक प्रयोगशाला/आनुवंशिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र या इनके किसी समुच्च के रजिस्ट्रीकरण के लिए है)
4. दूरभाष/फैक्स संख्या/तार/ईमेल पता सहित आनुवंशिक परामर्श केन्द्र/आनुवंशिक प्रयोगशाला/आनुवंशिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र का पूरा नाम और पता/पते
5. संगठन के स्वामित्व के प्रकार

 (व्यक्तिगत स्वामित्व/भागीदारी/कम्पनी/सहकारी/कोई अन्य विनिर्दिष्ट करें) व्यक्तिगत स्वामिसत्व से भिन्न संगठन के प्रकार की दशा में संलग्नक के रूप में संगम अनुच्छेद और प्रबंध के लिए उत्तरदायी अन्य व्यक्तियों के नामों और पतों की प्रति दें।
6. संस्था का प्रकार

 (सरकारी अस्पताल/नगर पालिका अस्तपाल/सार्वजनिक अस्पताल/प्राइवेट अस्पताल/प्राइवेट परिचर्या गृह/प्राइवेट क्लिनिक/प्राइवेट प्रयोगशाला/कोई अन्य, उल्लेख करें।)
7. विनिर्दिष्ट प्रसव पूर्व निदान प्रक्रियाएँ/परीक्षण, जिनके लिए अनुमोदन चाहा गया है।

 क. आक्रामक — एम्नियोसेंटेसिस, कोरियोनिक विल्ली एसपिरेशन/

 ख. अनाक्रामक — गुणसूत्री जैव रासायनिक/आण्विक अध्ययन आदि

 पराध्वनिक विज्ञान

 यदि रजिस्ट्रीकरण केवल आनुवंशिक परामर्श केन्द्र के लिए चाहा गया है तो खाली छोड़ दें।
8. प्रत्येक उपस्कर का मेक और मॉडल सहित उपलब्ध उपस्कर

 (एक अलग पन्ने पर सूची संलग्न करें)
9. (क) परामर्श केन्द्र में उपलब्ध सुविधाएं

 (ख) क्या निम्नलिखित परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला/क्लिनिक में सुविधाएं उपलब्ध हैं या हो जाएंगी :

 (i) अल्ट्रासाउंड
 (ii) एम्निओसेंटेसिस
 (iii) कोरिओनिक विल्ली एसपीरेशन
 (iv) फोइटोस्कोपी
 (v) भ्रूण बायोप्सी
 (vi) कोर्डोसेंटेसिस

 (ग) क्या निम्नलिखित के लिए प्रयोगशाला, क्लिनिक में सुविधाएँ उपलब्ध हैं :—

 (i) गुणसूत्री अध्ययन
 (ii) जैव रासायनिक अध्ययन
 (iii) आण्विक अध्ययन
 (iv) परिइम्पलान्टेशन आनुवंशिक निदान
10. कर्मचारियों का नाम, अर्हताएं, अनुभव और रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (इन्हें अनुसंलग्नक के रूप में दिया जाए)।

11. यह बताएं कि क्या आनुवंशिक परामर्श केन्द्र/आनुवंशिक प्रयोगशाला/आनुवंशिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र नियम 3 में अधिकथित अपेक्षाओं के अनुसार रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित करता है।

12. केवल नवीकरण आवेदनों के लिए –

(क) रजिस्ट्रीकरण संख्या

(ख) विद्यमान रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के जारी होने की तारीख और उसके समाप्त होने की तारीख

13. संलग्नकों की सूची :

(कृपया इस आवेदन के साथ संलग्न किए गए समर्थक दस्तावेज/संलग्नकों की सूची संलग्न करें)।

(.....)

रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले संगठन की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर

तारीख

स्थान

घोषणा

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी/डा०.....का/की पुत्र/पुत्री/पत्नी.....आयु.....वर्ष.....की/का निवासी हूँ.....और(रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले संगठन का नाम लिखें).....में.....(पद नाम लिखें) के रूप में कार्यरत हूँ.....यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 (1994 का 57)[1] और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण), नियम, 1996[2] को पढ़ लिया है और समझ लिया है।

मैं उक्त अधिनियम और नियमों को उस आनुवंशिक परामर्श केन्द्र/आनुवंशिक प्रयोगशाला/आनुवंशिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र के सभी कर्मचारियों को समझाने का वचन देता/देती हूँ जिसकी बाबत रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है और यह सुनिश्चित करने का वचन देता/देती हूँ कि अधिनियम तथा नियमों का पूर्णत: पालन किया जाएगा।

(.....)

रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले संगठन की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर

तारीख

स्थान

[रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले संगठन की मुहर]

अभिस्वीकृति

[नियम 4(2) और 8(1) देखिए]

.....(आवेदक का नाम और पता) द्वारा आनुवंशिक परामर्श केन्द्र/आनुवंशिक प्रयोगशाला/आनुवंशिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र के रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी/नवीकरण* के लिए आवेदन प्ररूप क में, दो प्रतियों में समुचित प्राधिकारी द्वारा.....(तारीख) को प्राप्त हुआ है।

1. अब देखिए गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994.
2. अब देखिए गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) नियम, 1996.

* प्ररूप "क" में आवेदन के साथ लगे संलग्नकों की सूची का प्रस्तुत किए गए संलग्नकों से सत्यापन कर लिया गया है और सही पाया गया है

अथवा

सत्यापन करने पर यह पाया गया है कि संलग्नों की सूची में उल्लिखित निम्नलिखित दस्तावेज वस्तुतः संलग्न नहीं किए गए हैं।

यह अभिस्वीकृति रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी या नवीकरण के लिए आवेदक को कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।

(.....)

समुचित प्राधिकारी या समुचित प्राधिकारी के कार्यालय में प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और पदनाम

तारीख

स्थान

मुहर]

* जो लागू न हो या आवश्यक न हो उसे काट दें।

सभी संलग्नकों को आवेदक के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना है।

मूल प्रति/दूसरी प्रति प्रदर्शित करने के लिए

[**प्ररूप ख**

[नियम 6(2), नियम 6(5) और नियम 8 (2) देखिए]

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

(दो प्रतियों में जारी किया जाना है)

1. समुचित प्राधिकारी प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 (1994 का 57)[2] की धारा 19 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे आनुवंशिक परामर्श केन्द्र/आनुवंशिक प्रयोगशाला/आनुवंशिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र को आनुवंशिक/परामर्श/प्रसवपूर्व निदान प्रक्रियाएं/प्रसवपूर्व निदान परीक्षण/अल्ट्रासोनोग्राफी करने के प्रयोजनों के लिए पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन.....को समाप्त होने वाली पाँच वर्ष की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण मंजूर करता है।

2. यह रजिस्ट्रीकरण पूर्वोक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए मंजूर किया गया है उनका कोई उल्लंघन करने पर यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उक्त पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व निलम्बित या रद्द कर दिया जाएगा।

(क) आनुवंशिक परामर्श केन्द्र/आनुवंशिक प्रयोगशाला/आनुवंशिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र का नाम और पता

(ख) (आनुवंशिक क्लिनिक) के लिए अनुमोदित प्रसवपूर्व निदान प्रक्रियाएं अनाक्रमक

(i) अल्ट्रासाउंड

1. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अब देखिए गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994.

आक्रामक

(ii) एम्निओसेंटेसिस

(iii) कोरिओनिक विल्ली बायोप्सी

(iv) फोइटोस्कोपी

(v) फोइटल स्किन या आर्गन बायोप्सी

(vi) कोर्डोसेंटेसिस

(vii) कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

(ग) (आनुवंशिक प्रयोगशाला के लिए) अनुमोदित प्रसवपूर्व निदान परीक्षण

(i) गुणसूत्री अध्ययन

(ii) जैव रासायनिक अध्ययन

(iii) आण्विक अध्ययन

(घ) (अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र के लिए) कोई अन्य प्रयोजन (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

3. प्रयोग किए जा रहे उपस्कर का माडल और मैक (कोई तब्दीली नियम 13 के अधीन समुचित प्राधिकारी को संसूचित की जानी है)

4. आबंटित रजिस्ट्रीकरण सं०

5. पहले रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता अवधि से तक (केवल नवीकृत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए)

समुचित प्राधिकारी के हस्ताक्षर,

तारीख

नाम और पदनाम

[मुहर]

* जो लागू न हो या आवश्यक न हो उसे काट दें।

इस प्रमाण पत्र की एक प्रति कारोबार के स्थान में सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करें।

[1][प्रारूप ग

[नियम 6(3), नियम 6(5) और नियम 8(3) देखिए]

रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी/नवीकरण के आवेदन के नामंजूर किए जाने का प्ररूप

समुचित प्राधिकारी..... प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994[2] की धारा 19(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित आनुवंशिक परामर्श केन्द्र*/आनुवंशिक प्रयोगशाला*/आनुवंशिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र के रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी*/नवीकरण के आवेदन को नामंजूर करता है।

(1) आनुवंशिक परामर्श केन्द्र*/आनुवंशिक प्रयोगशाला*/आनुवंशिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र का नाम और पता

1. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अब देखिए गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994.

(2) रजिस्ट्रीकरण मंजूर/नवीकृत करने के लिए आवेदन को नामंजूर करने के कारण

तारीख

स्थान

समुचित प्राधिकारी के हस्ताक्षर नाम और पदनाम
कार्यालय की मुहर

* जो लागू न हो या आवश्यक न हो उसे काट दें।]

[1][प्ररूप घ

[नियम 9 (2) देखिए]

आनुवंशिक परामर्श केन्द्र द्वारा अभिलेख रखे जाने के लिए प्ररूप

1. आनुवंशिक परामर्श केन्द्र का नाम और पता
2. रजिस्ट्रीकरण संख्यांक
3. रोगी का नाम
4. आयु
5. पति/पिता का नाम
6. पूरा पता, दूरभाष सं० सहित, यदि कोई हो
7. (डाक्टर/डाक्टरों का पूरा नाम और पता तथा रजिस्ट्रीकरण संख्यांक) द्वारा निर्दिष्ट टिप्पण को केस के कागज पत्रों के साथ सावधानीपूर्वक परिरक्षित किया जाना है)
8. अंतिम रजोधर्म/गर्भावस्था के सप्ताह
9. कुटुम्ब में आनुवंशिक/आयुर्विज्ञान रोग का वृत्तान्त (विनिर्दिष्ट करें) निदान का आधार
 (क) क्लिनिकल
 (ख) जैव-रासायनिक
 (ग) कोशिका आनुवंशिक
 (घ) अन्य (उदाहरणार्थ, विकिरण चिकित्सा विज्ञान, अल्ट्रा सोनोग्राफी।
10. प्रसवपूर्व निदान के लिए उपदर्शन
 क. निम्नलिखित सहित पूर्ववर्ता संतान
 (i) गुणसूत्री विकार
 (ii) उपापचयी विकार
 (iii) जन्मजात विषमता
 (iv) मानसिक मन्दन
 (v) हीमोग्लोबिनोपैथी
 (vi) यौन संबंधी विकार
 (vii) एकल लिंग विकार
 (viii) कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

1. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।

ख. अधिक मातृ आयु (35 वर्ष या उससे अधिक)

ग. माता/पिता/सहोदर भाई या बहन को आनुवंशिक रोग है (विनिर्दिष्ट करें)

घ. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

11. प्रज्ञापित प्रक्रियाएं
 (i) अल्ट्रासाउंड
 (ii) एम्निओसेंटेसिस
 (iii) कोरिओनिक विल्ली बायोप्सी
 (iv) फोइटोस्कोपी
 (v) फोइटल स्किन या आर्गन बायोप्सी
 (vi) कोर्डोसेंटेसिस
 (vii) कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
12. किए जाने वाले प्रयोगशाला परीक्षण
 (i) गुणसूत्री अध्ययन
 (ii) जैव रासायनिक अध्ययन
 (iii) आण्विक अध्ययन
 (iv) परिइम्पलान्टेश आनुवंशिक निदान
13. निदान परिणाम — सामान्य/असामान्य
 यदि असामान्य हो तो ब्यौरे दें।
14. क्या गर्भ के चिकित्सीय समापन की सलाह दी गई थी।
15. उस आनुवंशिक क्लिनिक* का नाम और पता जहां रोगी को निर्दिष्ट किया गया।
16. आनुवंशिक परामर्श के आरम्भ और पूरा होने की तारीख

तारीख :
स्थान : आनुवंशिक परामर्श देने वाले चिकित्सा आनुवंशिक विज्ञ/स्त्री रोग विशेषज्ञ/बाल चिकित्सक का नाम हस्ताक्षर और रजिस्ट्रीकरण संख्या

*जो लागू न हो या आवश्यक न हो उसे काट दें।]

[1][**प्ररूप ङ**

[नियम 9 (3) देखिए]

आनुवंशिक प्रयोगशाला द्वारा अभिलेख रखने के लिए प्ररूप

1. आनुवंशिक प्रयोगशाला का नाम और पता
2. रजिस्ट्रीकरण संख्यांक
3. रोगी का नाम
4. आयु
5. पति/पिता का नाम
6. पूरा पता दूरभाष सं० सहित, यदि कोई हो

1. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।

7. (आनुवंशिक क्लिनिक का पूरा नाम और पता) द्वारा निर्दिष्ट/भेजा गया नमूना
(निर्देश टिप्पण को केस के कागजपत्रों के साथ सावधानीपूर्वक परिरक्षित किया जाना है)

8. नमूने का प्रकार मातृ रक्त/कोरियोनिक विलस नमूना/एम्नियोटिक फ्लूइड/भ्रूण रक्त या अन्य भ्रूण उतक (विनिर्दिष्ट करें)

9. प्रसवपूर्व निदान के लिए उपदर्शन विनिर्दिष्ट करें।

क. निम्नलिखित सहित पूर्ववर्ती संतान
(i) गुणसूत्री विकार
(ii) उपापचयी विकार
(iii) कुरचना
(iv) मानसिक मन्दन
(v) वशानुगत रक्तसलायी रक्ताल्पता
(vi) यौन संबंधी विकार
(vii) एकल लिंग विकार
(viii) कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

ख. अधिक मातृ आयु (35 वर्ष या उससे अधिक)

ग. माता/पिता/सहोदर भाई या बहन को आनुवंशिक रोग है (विनिर्दिष्ट करें)

घ. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

10. किए गए प्रयोगशाला परीक्षण (ब्यौरे दें)
(i) गुणसूत्री अध्ययन
(ii) जैव रासायनिक अध्ययन
(iii) आण्विक अध्ययन
(iv) परिइम्पलान्टेशन आनुवंशिक निदान

11. निदान परिणाम
यदि असामान्य हो तो ब्यौरे दें। सामान्य/असामान्य

12. तारीख/तारीखें जिसको/जिनको परीक्षण किया गया/किए गए
प्रसवपूर्व निदान परीक्षणों के परिणाम.....को
तारीखको सूचित किए गए।

चिकित्सा आनुवंशिक विद संस्थान के
स्थान : निदेशक का नाम, हस्ताक्षर
तारीख : और रजिस्ट्रीकरण संख्यांक

*जो लागू न हो या आवश्यक न हो उसे काट दें।]

[1][**प्ररूप च**

[धारा 4 (3) का परंतुक, नियम 9 (4) और नियम 10 (1क) देखें]

आनुवंशिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र द्वारा प्रसव पूर्व जांच की दशा में अभिलेख रखे जाने का प्ररूप

भाग क : सभी नैदानिक प्रक्रियाओं/जांच के लिए भरे जाने के लिए

1. आनुवंशिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र का नाम और पूरा पता
2. रजिस्ट्रीकरण संख्या (गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन)
3. रोगी का नाम.....आयु
4. कुल जीवित संतानों की संख्या
 (क) जीवित पुत्रों की संख्या, प्रत्येक की आयु (वर्ष या मास में)
 (ख) जीवित पुत्रियों की संख्या, प्रत्येक की आयु (वर्ष या मास में)
5. पति/पत्नी/पिता/माता का नाम
6. रोगी का पूरा पता, दूरभाष संख्या सहित, यदि कोई हो.....

7. (क) चिकित्सक (चिकित्सक का पूरा नाम और पता/आनुवंशिक परामर्शदाता केन्द्र) द्वारा निर्दिष्ट (निर्देश स्लीपों को प्ररूप च के साथ सावधानीपूर्वक परिरक्षित रखना है).....

 (ख) स्त्री रोग विशेषज्ञ/विकिरणविज्ञानी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जो नैदानिक प्रक्रियाएं कर रहे हैं, द्वारा स्व-निर्देश.....

 (रोगी के निर्देश टिप्पण को मामले के कागज-पत्रों को प्ररूप च के साथ सावधानीपूर्वक परिरक्षित किया जाना है)

 (स्व-निर्देश से किसी ग्राहक द्वारा क्लिनिक में आना और जांच के लिए अनुरोध करना या गर्भवती महिला के नातेदारों) द्वारा जांच के लिए अनुरोध करना अभिप्रेत नहीं है)
8. पिछले रजोधर्म की अवधि या गर्भधारण के सप्ताह

भाग ख : केवल गैर-आक्रामक नैदानिक प्रक्रिया/जांच के लिए भरा जाना है

9. प्रक्रिया को करने वाले चिकित्सक का नाम.....
10. नैदानिक प्रक्रिया के लिए उपदर्शन.....(निर्देश स्लिप या स्व-निर्देश टिप्पण में किए गए अनुरोध के संदर्भ में विनिर्दिष्ट करें।)

 (अल्ट्रासोनोग्राफी प्रसवपूर्व निदान केवल तभी किया जाना चाहिए जब उपदर्शित किया गया हो। निम्नलिखित अल्ट्रासाउंड के लिए गर्भधारण के दौरान उपदर्शकों की प्रतिनिधित्वकारी सूची है) **(अल्ट्रासाउंड के लिए उपयुक्त उपदर्शक के सामने सही का निशान लगाएं)**

 अंत: गर्भाशय और/या अस्थानीय गर्भधारण और व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए

1. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 77(अ) दिनांक 31 जनवरी, 2014 द्वारा प्रतिस्थापित।

ii. गर्भधारण आयु का आकलन (तिथिकरण)

iii. भ्रूणों की संख्या का पता लगाना और उनकी क्रमबद्धता

iv. इनसीटू आई० यू० सी० डी० के साथ संभावित गर्भावस्था या गर्भनिरोधों की असफलता के परिणामस्वरूप संभावित गर्भधारण/असफल गर्भ के चिकित्सीय समापन

v. योनि रक्तस्राव/रिसाव

vi. गर्भपात के मामलों में अनुवर्ती प्रक्रिया

vii. ग्रीवा नालिका का आकलन और आंतरिक ऑस का व्यास

viii. गर्भाशय के आकार और मासिक धर्म की अवधि में भिन्नता

ix. एडनेक्सल या गर्भाशय रोग-निदान की कोई संभावना/अनियमितता

x. गुणसूत्र अनियमितताओं का पता लगाना, भ्रूण संरचना त्रुटियां और अन्य अनियमितताएं तथा उनका अनुवर्ती प्रक्रिया

xi. भ्रूण और उसकी स्थिति का मूल्यांकन

xii. लिकर अमनी का निर्धारण

xiii. समयपूर्व प्रसव पीड़ा/समयपूर्व झिल्ली का टूटना

xiv. प्लेसेंटल प्रास्थिति, मोटाई ग्रेडिंग और अनियमितताओं (प्लेसेंटा प्रिवीया, रेट्रोप्लेसेंटल रक्तस्राव, अनियमित अवलंबन, आदि) का मूल्यांकन

xv. नाभि-रज्जु का मूल्यांकन-प्रस्तुतीकरण, सन्निवेश, नुक्कल एनसर्कलमेंट, वाहिकाओं की संख्या और टूनाट की उपस्थिति

xvi. पूर्व के शल्यजन्य निशानों का मूल्यांकन

xvii. भ्रूण की वृद्धि, भ्रूण के वजन और भ्रूण की कुशलता के मानकों का मूल्यांकन

xviii. रंजक प्रवाह मापन और डूप्लेक्स डॉपलर अध्ययन

xix. गर्भधारण का चिकित्सीय समापन, बाह्य सिफैलिक वर्सन आदि जैसी पराध्वनिनिदेशित प्रक्रियाएं और उनकी अनुवर्ती प्रक्रिया

xx. क्रमबद्ध अंकुर का नमूनाकरण (सीवीएस) उल्ववेधन, भ्रूण रक्त नमूनाकरण, भ्रूण चर्म वायोप्सी, अमनीयो इन्फ्युजन, इंट्रायूटेराइन इन्फ्युजन, संटों आदि का अवस्थिकरण जैसे डायाग्नोस्टिक और उपचारात्मक इन्वेसिव मध्यक्षेपों से अनुलग्नक

xxi. इन्ट्रापार्टम घटनाओं का अवलोकन

xxii. गर्भावस्था को जटिल बनाने वाली चिकित्सा/शल्यक्रिया स्थितियां

xxiii. मान्यताप्राप्त संस्थाओं में अनुसंधान/वैज्ञानिक अध्ययन।

11. की गई प्रक्रियाएं (गैर-आक्रामक) (समुचित प्रक्रिया पर सही का निशान लगाएं)

i. अल्ट्रासाउंड

(**महत्वपूर्ण टिप्पण** : अल्ट्रासाउंड का परामर्श भ्रूण का लिंग उपदर्शित करने/परामर्श देने के लिए नहीं दिया जाता है सिवाय डचेन मांसपेशी कूपोषण, अतिरिक्त स्राव ए एवं बी आदि

ii. कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

12. वह तारीख जब गर्भवती महिला/व्यक्ति की घोषणा अभिप्राप्त की गई थी.....

13. वह तारीख जब प्रक्रियाएं की गईं.....

14. की गई गैर-आक्रामक प्रक्रियाओं का परिणाम (किए गए अल्ट्रासाउंड सहित जांच की संक्षिप्त रिपोर्ट).....

15. प्रसवपूर्व नैदानिक प्रक्रियाओं के परिणाम को सूचित किया गया.....

16. नैदानिक प्रक्रियाओं/जांच में पता लगाई गई अनियमितता के आधार पर गर्भ के चिकित्सकीय समापन के लिए कोई उपदर्शन.....

तारीख :

स्थान :

स्त्री रोग विशेषज्ञ/विकिरण विज्ञानी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जो नैदानिक प्रक्रियाओं को कर रहा है, का नाम, हस्ताक्षर और रजिस्ट्रीकरण संख्या-सहित मुहर

भाग ग : केवल आक्रामक प्रक्रियाएं/जांच करने के लिए भरा जाना है

17. प्रक्रियाओं को करने वाले चिकित्सक का नाम

18. **कुटुंब में आनुवंशिक/आयुर्विज्ञान रोगों का वृत्तान्त (विनिर्दिष्ट करें)**

निदान का आधार (निदान के उचित आधार पर सही का निशान लगाएं)

(क) क्लिनिकल

(ख) जैव रसायनिक

(ग) कोशिका आनुवंशिकी

(घ) अन्य (उदाहरणार्थ विकिरण चिकित्सा-विज्ञान, अल्ट्रासोनोग्राफी आदि-विनिर्दिष्ट करें)

19. नैदानिक प्रक्रिया के लिए उपदर्शन (उपयुक्त उपदर्शन पर सही का निशान लगाएं)

(क) निम्नलिखित सहित पूर्ववर्ती संतान

(i) गुणसूत्री विकार (ii) उपापचयी विकार

(iii) जन्मजात विषमता (iv) मानसिक नि:शक्तता

(v) हीमोग्लोबिनोपैथी (vi) यौन संबंधी विकार

(vii) एकल जीन विकार (viii) कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

(ख) अधिक मातृ आयु (35 वर्ष)

(ग) माता/पिता/सहोदर भाई या बहन को आनुवंशिक रोग (विनिर्दिष्ट करें)

(घ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

20. वह तारीख जिसको गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 में विहित प्ररूप छ में गर्भवती महिला/व्यक्ति की सहमति अभिप्राप्त की गई है।

21. की गई आक्रामक प्रक्रियाएं (समुचित पर सही का निशान लगाएं)

i. एम्नियोसेंटेसिस ii. कोरिओनिक विल्ली एसपिरेशन

iii. भ्रूण बायोप्सी iv. कोरडोसेंटेसिस

v. कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

22. आक्रामक प्रक्रिया की कोई जटिलताएं (विनिर्दिष्ट करें)

23. सिफारिश की गई अन्य जांच (कृपया वर्णन करें, यदि लागू हो)

i. गुणसूत्रीय अध्ययन ii. जैव रसायनिक अध्ययन

iii. आणविक अध्ययन iv. पूर्व प्रत्यारोपण लिंग निदान

v. कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

24. की गई प्रक्रियाओं/जांचों का परिणाम (की गई आक्रामक जांच/प्रक्रियाओं की संक्षिप्त रिपोर्ट)
25. वह तारीख जब प्रक्रियाएं की गईं
26. प्रसवपूर्व नैदानिक प्रक्रियाओं के परिणाम को.....सूचित किया गया
27. नैदानिक प्रक्रियाओं/जांच में पता लगाई गई किसी अनियमितता के आधार पर गर्भ के चिकित्सीय समापन का कोई उपदर्शन

तारीख :

स्थान :

स्त्री रोग विशेषज्ञ/विकिरण विज्ञानी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जो नैदानिक प्रक्रियाओं को कर रहा है, का नाम, हस्ताक्षर और रजिस्ट्रीकरण संख्या सहित मुहर

भाग घ : घोषणा

उस व्यक्ति द्वारा की जाने वाली घोषणा जिसकी प्रसवपूर्व नैदानिक जांच/प्रक्रिया की जा रही है

मैं श्रीमती/श्री.....घोषणा करती हूं/करता हूं कि.....नैदानिक जांच/प्रक्रिया करवाने से मैं अपने भ्रूण का लिंग नहीं जानना चाहती/चाहता हूं।

तारीख :

प्रसवपूर्व नैदानिक जांच/प्रक्रिया करवाने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

अंगूठा निशान की दशा में :

नाम.....द्वारा पहचान.....आयु.....लिंग.....

संबंध (यदि कोई हो).....पता दूरभाष संख्या सहित.....

अभिप्रमाणित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर.....तारीख.....

प्रसवपूर्व नैदानिक जांच/प्रक्रिया करने वाले चिकित्सक/व्यक्ति की घोषणा

मैं.....(अल्ट्रासोनोग्राफी/छायाचित्रण करने वाले व्यक्ति का नाम) घोषणा करता/करती हूँ कि श्रीमती/श्री.....(गर्भवती महिला या उस व्यक्ति जिसका प्रसवपूर्व नैदानिक प्रक्रिया/जांच की जा रही है का नाम), का मैंने भ्रूण के लिंग की न तो जांच की है न ही उसका किसी व्यक्ति को किसी रीति में प्रकटन किया है।

तारीख :

हस्ताक्षर.....

स्त्री रोग विशेषज्ञ/विकिरण विज्ञानी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जो नैदानिक प्रक्रियाओं को कर रहा है, का नाम (बड़े अक्षरों में) और रजिस्ट्रीकरण संख्या सहित मुहर]

IndiaCode

[1][प्ररूप-छ

[नियम 10 देखिए]

सहमति का प्ररूप

(आक्रामक तकनीकों के लिए)

मैं.....की पत्नी/पुत्रीआयु.....वर्ष.....की निवासी यह कथन करती हूँ कि मुझे प्रसवपूर्व निदान प्रक्रियाओं के संभावित प्रासंगिक प्रभावों तथा उसके पश्चात् होने वाले प्रभावों के बारे में पूर्ण रूप से बता दिया गया है।

मैं अपने हित में परिइम्पलांटेशन/प्रसवपूर्व निदान प्रक्रिया कराना चाहती हूँ ताकि मेरे गर्भ में पलने वाले शिशु में किसी असामान्यता (अर्थात् रोग/विरुपता/विकार) की संभावना का पता लगाया जा सके।

मैं गर्भ का समापन न करने का वचन देती हूँ यदि की गई प्रसवपूर्व प्रक्रिया/तकनीक/परीक्षण से किसी रोग/विरुपता/विकार नहीं दिखाई देते हैं।

मुझे पता है कि भ्रूण के लिंग के बारे में मुझे नहीं बताया जाएगा।

मुझे पता है कि इस वचन का भंग करने पर मैं शास्ति के दायित्वाधीन होऊंगी जैसा कि प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 (1994 का 57)[2] में और उसके अधीन विरचित नियमों में विहित है।

तारीख

स्थान

गर्भवती स्त्री के हस्ताक्षर

मैंने उपरोक्त सहमति की विषय-वस्तु के बारे में रोगी और उसके साथी (नाम..... पता.....नातेदारी.....) को उस भाषा में जिसे वह/वे समझती हैं/समझते हैं, बता दिया है।

स्त्री रोग विशेषज्ञ/आयुर्विज्ञान आनुवंशिक विज्ञ/विकिरण चिकित्सा विज्ञानी/ बालरोग विशेषज्ञ/आनुवंशिक क्लिनिक/संस्थान/क्लिनिक/केन्द्र/प्रयोगशाला के निदेशक का नाम, हस्ताक्षर और रजिस्ट्रीकरण संख्यांक

तारीख

आनुवंशिक क्लिनिक/संस्थान का नाम, पता और रजिस्ट्रीकरण संख्यांक

मुहर]

[3][प्ररूप ज

[नियम 9 (5) देखिए]

प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994[2] के अधीन रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी/नामंजूरी के लिए आवेदनों के स्थायी अभिलेख रखे जाने के लिए प्ररूप

1. क्रम संख्यांक
2. समुचित प्राधिकारी की फाइल संख्यांक
3. रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख
4. आवेदक का नाम, पता, फोन/फैक्स आदि

1. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अब देखिए गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994.
3. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 109(अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।

5. आनुवंशिक परामर्श केन्द्र/आनुवंशिक प्रयोगशाला/आनुवंशिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र का नाम और पता/पते
6. वह तारीख जिसको सलाहकार समिति द्वारा विचार किया गया और सलाहकार समिति की संक्षेप में सिफारिश
7. आवेदन का परिणाम (मंजूर किया गया/नामंजूर किया गया) और आदेशों के जारी होने की तारीख-प्ररूप क या प्ररूप ग में आदेश के जारी होने की तारीख का अभिलेख)
8. आबंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्रीकरण समाप्त होने की तारीख
9. नवीकरण (नवीकरण की तारीख और कब तक नवीकरण किया गया)
10. नवीकरण संबंधी फाइल संख्यांक
11. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो।

समुचित प्राधिकारी का नाम,
पदनाम और हस्ताक्षर

समुचित प्राधिकारी के लिए मार्गदर्शन

(क) प्ररूप ज समुचित प्राधिकारी की अभिरक्षा में रजिस्टर के रूप में रखा जाने वाला स्थायी अभिलेख है।

(ख) * से अभिप्रेत है जो लागू न हो उसे काट दें।

(ग) नवीकरण होने पर आनुवंशिक परामर्श केन्द्र/आनुवंशिक प्रयोगशाला/आनुवंशिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र के रजिस्ट्रीकरण संख्यांक में परिवर्तन नहीं होगा। स्वामित्व या प्रबंध में परिवर्तन होने की दशा में एक नया रजिस्ट्रीकरण संख्यांक आबंटित किया जाएगा।

(घ) रजिस्ट्रीकरण संख्यांक दो बार नहीं दिया जाएगा।

(ङ) प्रत्येक आनुवंशिक परामर्श केन्द्र/आनुवंशिक प्रयोगशाला/आनुवंशिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र को एक फोलियो आबंटित किया जा सकता है जिसमें प्ररूप ज अभिलिखित करने के लिए रजिस्टर के दो पृष्ठ होंगे।

(च) "अतिरिक्त सूचना" के लिए दिया गया स्थान नवीकरण के आवेदन के निलम्बन, रद्दकरण और नामंजूरी, स्वामित्व/प्रबंध में परिवर्तन, किन्हीं विधि कार्यवाहियों का परिणाम आदि अभिलिखित करने के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

(छ) रजिस्टर का प्रत्येक फोलियो (अर्थात् दो पृष्ठ) समुचित प्राधिकारी के तारीख सहित हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा और प्रत्येक पश्चात्वर्ती प्रविष्टि को भी उसी प्रकार से अधिप्रमाणित किया जाएगा।]

[प्ररूप-झ

[नियम 19क (4) (क) देखें]

केन्द्रीय अपीलीय प्राधिकरण अथवा राज्य अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष

अपील सं०...../20....

निम्नलिखित के मामले में

अपीलकर्ता का नाम और पता अपीलार्थी

1. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 492(अ) दिनांक 22 मई, 2017 द्वारा अंत:स्थापित।

बनाम

उस प्राधिकारी का नाम और पता, जिसके आदेश को आक्षेप दी गई है। प्रतिवादी

मामला अति आदरपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है :

उपर्युक्त अपीलार्थी नेद्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील की है, जो तारीख..... के.....(बाद का ब्यौरा, यदि कोई हो).....में अपीलार्थी के विरुद्ध.....(स्थान का नाम तथा पता) में संबद्ध प्राधिकारी है तथा अपील किए गए आदेश पर आक्षेप के निम्नलिखित आधार बताए हैं :

1. जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है इसकी विशिष्टियां तथा आदेश की संख्या, यदि कोई हो
2. वाद मामला का संक्षिप्त तथ्य
3. समुचित प्राधिकारी के निष्कर्ष
4. अपील का आधार
5. संलग्न आदेश की प्रति तथा वह सभी दस्तावेज, जिन पर अपीलार्थी विश्वास करता है।
6. अपील के समर्थन में अन्य कोई सूचना/दस्तावेज
7. प्रार्थनाकर्ता

कि अपीलार्थी उपर्युक्त वर्णित कारणों हेतु तथा सुनवाई के समक्ष किए जा सकने वाले तर्क-वितर्क, मंगवाए जाने वाले अभिलेख तथा कार्यवाहियों के आधार पर अनुरोध करता है कि इस अपील की स्वीकृति प्रदान की जाए और इस अपील के अंतर्गत आदेश को अभिखंडित और अपास्त किया जाए तथा अपीलार्थी के पक्ष में न्यायपूर्ण तथा ठीक माने जाने वाले आदेश पारित करें।

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

सत्यापन

मैं,सत्यापित करता हूं कि पैरा सं०से.....तक की अंतर्वस्तु मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है और इसमें कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छिपाए गए हैं।

अपीलार्थी के हस्ताक्षर]

[प्ररूप-ञ

[नियम 19क (4) (ख)]

शपथ-पत्र का प्ररूप

केन्द्रीय अपीलीय प्राधिकारी या राज्य अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष

निम्नलिखित के मामले में :

अपीलार्थी का नाम और पता अपीलार्थी

बनाम

सम्बन्धित प्राधिकारी का नाम और पता प्रतिवादी

1. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 492(अ) दिनांक 22 मई, 2017 द्वारा अंत:स्थापित।

शपथ-पत्र

मैं.....पुत्र-पुत्री.....आयु.....निवासी सत्यनिष्ठापूर्वक निम्नानुसार घोषणा करता हूं कि :

1. मैं अपील प्राधिकारी के समक्ष फाइल किए गए उपर्युक्त मामले में अपीलार्थी हूं और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत हूं, अत: इस शपथ-पत्र के द्वारा शपथ लेने में सक्षम हूं।
2. अपील के संलग्न ज्ञापन को मेरे निर्देशानुसार मेरे काउंसेल द्वारा तैयार किया गया है और मैंने इसे समझ लिया है, जिसे इस शपथ पत्र का अविभाज्य अंग माना जाए, तथा इसे संक्षिप्तता के कारण यहाँ दोहराया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

सत्यापन

.....(माह और वर्ष) की.....तारीख को यह सत्यापित किया जाता है कि अपील की विषय वस्तु-मेरी जानकारी/अभिलेख/दस्तावेजों/मेरे काउंसेल की विधिक सलाह के आधार पर सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी सामग्री छिपाई नहीं गई है।

अभिसाक्षी]

[1][**परिशिष्ट-क**

[नियम 19क (4) (ग) देखें]

केन्द्रीय अपीलीय प्राधिकारी अथवा राज्य अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष

निम्नलिखित के मामले में :

अपीलार्थी का नाम : अपीलार्थी

बनाम

संबद्ध समुचित प्राधिकारी प्रतिवादी

अनुक्रमणिका

क्र० सं०	विशिष्टियां	पृष्ठ संख्या

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

सार

तारीख	घटनाओं की विशिष्टियां

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

दस्तावेजों की सूची

क्र०सं०	विशिष्टियां	पृष्ठ

अपीलार्थी के हस्ताक्षर]

1. अधिसूचना क्र० सा. का. नि. 492(अ) दिनांक 22 मई, 2017 द्वारा अंत:स्थापित।